

नगर पंचायत शाहपुर

जिला – बुरहानपुर

मेन्यूअल

सूचना का

अधिकार

अधिनियम 2005

प्राक्कथन

लोकतंत्र में शासन जनता का होता है, और उसे जनता के लिए, जनता के द्वारा संचालित किया जाता है । भारतीय संविधान सहभागी लोकतंत्र के सिद्धान्त पर आधारित है। शासन व्यवस्था में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये नागरिकों द्वारा चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि का चयन किया जाता है । संविधान की यह मान्यता है कि, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि की इच्छा व आकांक्षा के अनुरूप संविधान सम्मत शासन का संचालन व नीतियों का निर्धारण इस प्रकार हों कि, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके । इस उद्देश्य की पूर्ती के लिये शासन को हर स्तर पर जनता के प्रति जवाबदेह होना आवश्यक है । यह तभी संभव है, जब नागरिकों को शासन व उसके अधीन समस्त प्रशासनिक इकाइयों के क्रिया कलापों की उन सारी सूचनाओं को प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त हो, जो उनसे जुड़ी है, या जो जनहित में आवश्यक हो ।

इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वर्ष 2003 में राज्य शासन ने मध्यप्रदेश जानकारी की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 क्रमांक 3 सन 2003 पारित किया व अब केन्द्र शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रभावशील किया गया है ।

नगर पंचायत शाहपुर जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अन्तर्गत गठित एक निगमित निकाय है एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक "लोक प्राधिकारी" है । नगर पंचायत परिषद के कार्य व कर्त्तव्य नागरिकों से सीधे जुड़े हुए है । अतः नागरिकों को नगर व नागरिकों के लिये निर्धारित की जाने नीति, स्वीकृत योजनाएं व नगर पालिका व उसके अधिकारियों व कर्मचारियों के अधिकार व कर्त्तव्य तथा कार्यप्रणाली की समग्र जानकारी नागरिकों को एक स्थान पर प्राप्त हो सके इसी उद्देश्य से अधिनियम की धारा 4 में वर्णित समस्त जानकारी समाहित करते यह हस्त पुस्तिका तैयार की गई है ।

इस हस्तपुस्तिका में अंकित जानकारी व सूचना से अधिक जानकारी या किसी अभिलेख की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये निकाय के मुख्य नगर पंचायत अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

विषय – सूची

स.क्र.	अध्याय क्रमांक	विषय	पृष्ठ
1.	–	प्राक्कथन, विषय सूची	2–3
2.	अध्याय – एक	संगठन की शिष्टियों, कृत्य एवं कर्त्तव्य	4–14
3.	अध्याय – दो	प्राधिकरण के विभागीय अधिकारियों व कर्मचारी के कार्य एवं शक्तियाँ	15–27
4.	अध्याय – तीन	विनिश्चय/निर्णय किये जाने के प्रकरण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और निगरानी/पर्यवेक्षण तथा जवाबदेही के माध्यम/सारणी	28–29
5.	अध्याय – चार	प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिये उसके द्वारा निर्धारित मापदण्ड/प्रतिमान	30–34
6.	अध्याय – पाँच	नगर पालिका परिषद के कृत्यों का निर्वहन करने के लिये उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रण के अधीन या उसके कर्मचारियों/कर्मकारों/नियोजितों के द्वारा उपयोग की गई, विनियमों, अनुदेशों, मेन्युअल्स और अभिलेख	35–39
7.	अध्याय – छः	लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रण के अधीन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण	40–41
8.	अध्याय – सात	–	42–43
9.	अध्याय – आठ	अधिनियमों के तहत गठित समितियों का प्रावधान	44–45
10.	अध्याय – नौ	प्राधिकारी के अधिकारियों और कर्मचारियों नियोजितों की निर्देशिका	46–47
11.	अध्याय – दस	प्राधिकारी के अधिकारियों और कर्मचारियों नियोजितों की निर्देशिका	48–51
12.	अध्याय – ग्यारह	प्रत्येक एजेन्सी (विभाग) के लिये आवंटित बजट (आय एवं व्यय पत्रक)	52–55
13.	अध्याय – बारह	अनुदान के परियोजना (प्रोग्रामों) के क्रियान्वयन की रीति और आवंटित राशि, व्यय एवं हितग्राहियों की संख्या	56
14.	अध्याय – तेरह	प्राधिकारी द्वारा दी गई रियायतों सुविधाओं अनुदानों या मंजूर किए गए प्रधिकारों के प्राप्त कर्त्ताओं की सूची	57–73
15.	अध्याय – चौदह	नगर पालिका के पास प्राप्त या धारित इलेक्ट्रानिक फार्म में सूचना के बारे में विवरण	74–78
16.	अध्याय – पन्द्रह	नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिये प्रारम्भ सुविधाएँ	79
17.	अध्याय – सोलह	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा अन्य	80
18.	अध्याय – सत्रह	अन्य सूचनाएँ	81

संगठन की शिशिष्टिया, कृत्य एवं कर्त्तव्य

नगर पंचायत शाहपुर जिला बुरहानपुर को स्थापना वर्ष 1979 में की गई । वर्तमान में म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 व उसके अंतर्गत बनाये गये, नियमों से वह अपने कर्त्तव्यों को सम्पादित कर रही है ।

परिषद के मुख्य कर्त्तव्य व कार्यों का विवरण नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 123 में विनिर्दिष्ट है । जो निम्नानुसार है –

- (क) सार्वजनिक पथों, स्थानों तथा भवनों को प्रकाशित करना,
- (ख) सार्वजनिक पथों, स्थानों तथा मल-नालियों और ऐसे समस्त स्थानों को साफ करना जो प्राइवेट सम्पत्ति न हों और जो सार्वजनिक उपभोग के लिए खुले हों, भले ही ऐसे स्थान परिषद् में निहित हों या न हों, हानिकारक घासपात को हटाना और समस्त सार्वजनिक न्यूसेंस का उपशमन करना,
- (ग) विष्टा तथा कूड़ा करकट का व्ययन करना और विष्टा तथा कूड़ा करकट से कम्पोस्ट खाद तैयार करना,
- (घ) आग बुझाना और आग लग जाने की दशा में जीवन एवं सम्पत्ति की रक्षा करना,
- (ङ.) घृणोत्पादक या खतरनाक व्यापारों या व्यवसायों का विनियमन या उपशमन करना,
- (च) सार्वजनिक पथों या स्थानों में से तथा ऐसे स्थलों में से, जो प्राइवेट सम्पत्ति न हों, और जो सर्वसाधारण के उपभोग के लिए खुले हों, भले ही ऐसे स्थल परिषद, में निहित हों या राज्य सरकार में निहित हों, बाधाओं तथा प्रक्षेपित भागों को हटाना,
- (छ) मृतकों की अन्त्येष्टि के लिए स्थान अर्जित करना, उनका अनुरक्षण करना, उनमें तब्दीली तथा उनका विनियमन करना,
- (ज) महामारी या अन्य अकल्पित आपात-स्थिति में मृतकों की अन्त्येष्टि के लिए ऐसे विशेष उपाय करना जो विहित प्राधिकारी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन इस सम्बंध में निदेश देने के लिए सशक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित किए जाएं,
- (झ) खतरनाक भवनों या स्थानों को सुरक्षित बनाना या हटाना तथा अस्वास्थ्यकर परिक्षेत्रों का पुनरुद्धार करना,
- (ञ) सार्वजनिक पथों, पुलियों, नगर पालिका के सीमा – चिन्हों, मण्डियों, हाटों, वधशालाओं, शौचालयों, संडासों, मूत्रालयों, नालियों, मल-नालियों, जल निकास-संकर्मों, मलनाली से संबंधित संकर्मों, स्नानगृहों, धुलाई के स्थानों, पीने के पानी के नलों, तालाबों, कुओं, बांधों तथा उसी प्रकार के अन्य संकर्मों का निर्माण करना, उनमें परिवर्तन करना और उनका अनुरक्षण करना,
- (ट) कांजी हाउसों की स्थापना करना तथा उनका प्रबंध करना और जहाँ पशु अतिचार

अधिनियम, 1871 (1871 का सं. 1) प्रवर्तन में हो वहां उस अधिनियम की धारा 4, 5, 6, 7, 12, 14, 17 तथा 19 के अधीन राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट के समस्त कृत्य करना,

- (ठ) जल के वर्तमान प्रदाय के अपर्याप्त तथा अस्वास्थ्यकर होने के कारण निवासियों तथा घरेलू पशुओं के स्वास्थ्य को खतरे से बचाने के लिए उचित तथा पर्याप्त जल प्रदाय या अतिरिक्त जलप्रदाय को जब तक ऐसा प्रदाय या अतिरिक्त प्रदाय युक्तियुक्त खर्च से प्राप्त किया जा सकता हो, प्राप्त करना और ऐसे जल का नियतकालिक रूप से सूक्ष्म परीक्षण करना,
- (ड) पथों तथा उद्यानों का नामकरण करना तथा मकानों को संख्याकित करना,
- (ढ) जन्म, विवाह तथा मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण करना,
- (ण) सार्वजनिक, टीके लगाना,
- (त) किन्हीं भी ऐसे बछड़ो, गायों या भैसों के लिए, जो पशु टीक (लिम्फ) के प्रदाय के लिए नगरपालिका की सीमाओं के भीतर अपेक्षित हों, उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करना,
- (थ) पशुओं का रजिस्ट्रीकरण करना तथा ऐसे अन्तरालों से जो विहित किए जाएं, कृषि उपयोगी पशुओं की गणना,
- (द) ऐसे उपाय करना जो संक्रामक रोगों के पैदा होने या फेलने या उनकी पुनरावृत्ति होने से रोकने के लिये अपेक्षित हों,
- (ध) नगर पालिका के प्रशासन पर ऐसी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना जैसी राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उसे (रिपोर्ट को) प्रस्तुत करने के लिए परिषद् से अपेक्षा करें,
- (न) ऐसे प्रकार के तथा ऐसी स्थिति में, जिसका कलेक्टर द्वारा अनुमोदन किया जाए, मजबूत सीमा चिन्हों का निर्माण करना जो नगर पालिका की सीमाओं या उनमें किसी परिवर्तन को परिनिश्चित करते हों,
- (प) परिषद के सफाई कर्मचारीवृन्द के लिए आवास गृहों का सन्निर्माण तथा उनका अनुरक्षण करना,
- (फ) प्राथमिक शालाओं की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करना,

इसके अतिरिक्त नगर पालिका अधिनियम की धारा 124 के खण्ड क) से (फ) में उल्लेखित निम्न विषयों के लिए नगर पालिका की स्थाई व निधि से विवेकानुसार व्यवस्था कर सकती है ।


- (क) अस्वास्थ्यकर परिक्षेत्रों का पुनरुद्धार करना, ऐसे क्षेत्रों में, जिनमें पूर्व में निर्माण हुआ हो या नहीं – नए सार्वजनिक पथों का अभिन्यास करना तथा उस प्रयोजन के लिए भूमि अर्जित करना, जिसमें ऐसे मार्गों से संस्पर्शी भवन के लिए भू-खण्ड सम्मिलित होंगे,
- (ख) सार्वजनिक पार्को, उद्यानों, खेल के मैदानों तथा खुले स्थलों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, पागलखानों, सभा भवनों, कार्यालयों, धर्मशालाओं, विश्रामगृहों तथा अन्य सार्वजनिक भवनों का सन्निर्माण करना, उनकी स्थापना करना या उनका अनुरक्षण करना,
- (ग) शैक्षणिक उद्देश्यों को अग्रसर करना,
- (घ) सड़क के किनारों तथा अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण तथा उनका अनुरक्षण करना,
- (ङ.) सार्वजनिक पथों तथा स्थानों पर जल छिड़कना,
- (च) चौराहों, उद्यानों या सार्वजनिक समागम के अन्य स्थानों में संगीत की व्यवस्था करना,
- (छ) स्थानीय प्रयोजनों के लिए जनगणना करना और ऐसी जानकारी के हेतु, जिससे जन्म-मृत्यु संबंधी आंकड़ों का ठीक-ठीक रजिस्ट्रीकरण हो सके, पुरस्कार देना,
- (ज) सर्वेक्षण करना,
- (झ) किसी वैतनिक या अवैतनिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को बनाए रखने के लिए आनुषंगिक वेतन तथा भत्ते, भाड़े तथा अन्य खर्च या ऐसे किन्हीं भी खर्चों के किसी भाग का संदाय करना,
- (ञ) ऐसे कुत्तों तथा सुअरों का विनाश या निरोध करना, जिनका इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य अधिनियमिति के अधीन विनाश किया जा सकता हो या जिन्हें निरोध में रखा जा सकता हों,
- (ट) इस अधिनियम द्वारा या इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट खतरनाक तथा घृणोत्पादक व्यापारों को चलाने के लिए उपयुक्त स्थान प्राप्त करना या प्राप्त करने में सहायता देना,
- (ठ) प्राइवेट परिसरों पर या उनके उपयोग के लिए उनका मलमूत्र परिषद् के नियंत्रणाधीन मल-नाली में इकट्ठा करने तथा उसे बहाकर ले जाने के लिए पात्रों, फिटिंगों, नलों तथा अन्य प्रकार के साधित्रों का, चाहे जो भी हो, प्रदाय, निर्माण तथा उनका अनुरक्षण करना,
- (ड) मलमूत्र के व्ययन के लिए फार्म या कारखाना स्थापित करना तथा उसका अनुरक्षण करना,
- (ढ) नगर पालिका के कर्मचारियों के या उनके किसी वर्ग के तथा उनके आश्रितों के लिए किये जाने वाले कल्याण कार्यों की अभिवृद्धि करना,
- (ण) सफाई कर्मचारीवृन्द से भिन्न परिषद् के किसी भी वर्ग के कर्मचारियों के लिए निवास स्थान की व्यवस्था करना,
- (त) निर्धन वर्ग के व्यक्तियों के लिए स्वच्छ निवासगृह का निर्माण करना,

- (थ) पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों सहित शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सालयों, औषधालयों या इसी प्रकार के संस्थाओं के, जो सार्वजनिक चिकित्सा सहायता प्रदान करती हो या सामाजिक कार्य में लगी हो या पूर्त प्रकृति की अन्य संस्थाओं के निर्माण, उनकी स्थापना या उनके अनुरक्षण हेतु अभिदाय करना,
- (द) चारागाह या चराई के स्थानों का अर्जन करना तथा उनका अनुरक्षण करना और डेरी फार्मों की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करना और अभिजनन सांड रखना तथा उनका भरण-पोषण करना
- (ध) नगर पालिका क्षेत्र के निवासियों के फायदे के लिए दुग्ध के उत्पादों के प्रदाय, वितरण तथा प्रसस्करण के लिए डेरियों या फार्मों की स्थापना करना,
- (न) विशेषतः गर्भिणी तथा स्तनपान कराने वाली माताओं, बच्चों तथा अशक्तों के उपयोग के लिए मलाई युक्त या मलाई रहित दुग्ध, संघनीकृत दुग्ध, वाष्पीकरण द्वारा नमीरहित किया गया दुग्ध, दुग्ध चूर्ण तथा कृत्रिम या सोयाबीन दुग्ध प्राप्त करना और निःशुल्क या कम मूल्य पर वितरित करना,
- (प) वासगृहों तथा भोजनालयों की व्यवस्था करना तथा उन्हें चलाना,
- (फ) भोजन गृह, जैसे जलपान गृह, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, उपहार-गृह, कैफे स्वल्पाहार गृह, होटल तथा ऐसे स्थान स्थापित करना तथा उन्हें चलाना जहाँ खाद्य तथा पेय पदार्थ दिए जाते हों,
- (ब) शेड़ो, छपपरों (बूथ्स) तथा अन्य सुविधाओं सहित सार्वजनिक स्नान-गृहों या तैरने के तालाबों की व्यवस्था करना तथा उनका अनुरक्षण करना,
- (भ) किसी भी वाणिज्यिक उद्यम का जिम्मा लेना,
- (म) ऐसी सड़को तथा ऐसे भवनों का और सिंचन संकर्मों से भिन्न ऐसे अन्य सरकारी संकर्मों का, जिन्हें राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार परिषद् को अंतरित करे, निर्माण करना तथा उनका अनुरक्षण करना,
- (य) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी पागलखाने, कुष्ठाश्रम, चिकित्सालय या मकान में ऐसे पागलों तथा कुष्ठरोगियों के, जो नगर पालिका क्षेत्र में रहते हों या नगर पालिका क्षेत्र से हटाये गए हों, भरणपोषण की तथा उपचार की व्यवस्था करना,
- (कक) पागलों, कुष्ठ रोगियों तथा उन व्यक्तियों को जिनका अलर्कविरोधी (एण्टीरेबिक) उपचार होना आवश्यक हो, उनके उपचार के लिए स्थापित पागलखाने, कुष्ठाश्रम, चिकित्सालय या मकाने में, चाहे वह नगरपालिका की सीमाओं के भीतर हों या बाहर, भिजवाने की व्यवस्था करना,
- (गग) मेले तथा प्रदर्शनीयुक्त मेले लगाना,
- (घघ) पशु औषधालयों की स्थापना करना तथा उनका अनुरक्षण करना,
- (ङ.ड.) नगर पालिका के भीतर ऐसा कोई भी सार्वजनिक स्वागत समारोह, उत्सव, मनोरंजन या प्रदर्शनी का आयोजन करना, जिसमें उस रकम से अधिक रकम खर्च न हो जो

नियमों द्वारा इस विहित की गई हो, परन्तु यह जबकि, परिषद् द्वारा उस निमित्त साधारण सम्मिलन में एक संकल्प पारित कर दिया जाए –

- (चच) अन्यथा उपबंधित न किया गया कोई भी ऐसा विषय जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा तथा जनता की सुविधा का उन्नयन सम्भव हों,
- (छछ) चिकित्सालयों, तथा औषधालयों की स्थापना करना तथा उनका अनुरक्षण करना,
- (जज) दरिद्रालयों की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करना, और
- (झझ) नगरीय योजना जिसके अंतर्गत नगर योजना भी है,
- (जज) भूमि उपयोग का विनियम और भवनों का निर्माण,
- (टट) आर्थिक और सामाजिक विकास योजना,
- (ठठ) नगरीय वानिकी पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि,
- (डड) समाज के दुर्बल वर्गों में जिनके अंतर्गत विकलांग और मंद व्यक्ति भी हैं हितों की रक्षा,
- (ढढ) नगरीय निर्धनता उन्मूलन,
- (णण) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से कोई भी अन्य कार्य करना ।

लोक प्राधिकारी का संगठनात्मक ढांचा संलग्न प्रपत्र – 'क' में दर्शाया गया है । विभिन्न विभागों के कार्यों व कर्त्तव्यों का विवरण प्रपत्र 'ख' में तथा प्रपत्र 'ग' में दर्शाया गया है ।



नगर पंचायत के प्रत्येक विभाग के कार्य एवं कर्त्तव्य

अ.क्र.	विभाग	कार्य
1.	सामान्य प्रशासन विभाग	<p>लोक प्राधिकरण के सामान्य प्रशासन की सुचारु व्यवस्था एवं संचालन तथा लेखाओं के संधारण का यह विभाग उत्तरदायी है । उसके प्रमुख कार्य एवं कर्त्तव्य निम्नानुसार है –</p> <p>प्रशासन –</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कार्यालय की समुचित व्यवस्था । 2. अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति, अवकाश कार्य विभाजन । 3. कार्यालयीन पत्र-व्यवहार का संधारण, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण । 4. रिकार्ड – पत्रों का आवक-जावक, पंजीकरण व निरस्तीकरण । 5. परिषद, प्रेसीडेन्ट इन कौंसिल परामर्श दात्री समितियों के सम्मेलन की सूचना उसके कार्यवृत्तों का संधारण उसके द्वारा वांछित जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत करना व उनके निर्णयों के क्रियान्वयन व पालन हेतु संबंधित विभाग अधिकारियों को प्रेषित । 6. कार्यालयीन निरीक्षण व पर्यवेक्षण । 7. वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदनों का पालन ।
		<p>लेखा –</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निकाय के करों, शुल्को अनुज्ञा शुल्को व अन्य मदों में कर्मचारियों द्वारा वसूल या प्राप्त की गई है, की जाँच कर प्राप्त कर निर्धारित रोकड़ पुस्तक में अंकित करना व कोषालय या बैंक में जमा करना । 2. निकाय द्वारा किये जाने वाले समस्त भुगतानों की जाँच करना व सुनिश्चित करना कि, सम्पादित कार्य/कय या व्यवहार की सक्षम स्वीकृति है। बजट प्रावधान है, स्टॉक रजिस्टर

		<p>या लेजर बुक में प्रविष्टी है, व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर भुगतान करना व उसका लेखा निर्धारित लेखा पुस्तिका में संधारित करना ।</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. मासिक, त्रैमासिक वार्षिक लेखाओ को तैयार करना व विनिर्दिष्ट अधिकारियों को भेजना । 4. वार्षिक आय- व्यय अनुमान पत्रक तैयार करना । 5. समस्त प्रतिभूतियों, अमानतो, अग्रिमो के लेखो का संधारण । 6. ऋण एवं अनुदान से प्राप्त समस्त राशियों को लेखाओं का संधारण । 7. जनसहयोग या स्वेच्छिक अभिदाता द्वारा प्राप्त राशियों का लेखा निधारण प्रारूप रजिस्टर में रखना । 8. प्राधिकरण के सम्पूर्ण अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों का संधारण । 9. लेखाओं का अंकेक्षण एवं अंकेक्षण प्रतिवेदनों का निराकरण ।
2.	राजस्व विभाग	<p>प्राधिकरण के राजस्व विभाग का मुख्य कार्य एवं कर्त्तव्य निकाय द्वारा आरोपित समस्त करों शुल्को, एवं अन्य प्रभार तथा नगर पालिका मार्केट्स, स्लाटर हाउस एवं अस्थायी एवं स्थायी लीजरेंट तथा भूमि किराया – प्रिमियम आदि से संबंधित अभिलेख विहित प्रारूप में संधारण एवं वसूली करना है, इन कर्त्तव्यों की पूर्ति हेतु उसके द्वारा निम्न कार्य संपादित किये जाते है –</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सम्पत्ति कर, सफाई कर, जलकर, प्रकाश का, शिक्षाकर एवं अन्य सभी करों, जिनकी कर निर्धारण सूची वार्षिक तैयार की जाती है, उनकी कर निर्धारण रजिस्टर निर्धारित प्रपत्र में तैयार करना । 2. निकाय द्वारा आरोपित समस्त करों व शुल्को की शीघ्र वसूली कना । 3. करों शुल्को व अन्य देयक राशियों की वसूली

			<p>हेतु निर्धारित प्रारूप में आवश्यक संख्या में रसीद बुको की व्यवस्था उसके संशय व समाप्त होने पर वापस जमा करना, सुनिश्चित करना ।</p> <p>4. राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा वसूल की गई राशि का यथा समय नगर पालिका कोष में जॉच उपरांत जमा करना व उसका पर्यवेक्षण करना ।</p> <p>5. राजस्व विभाग द्वारा जारी रसीदों का मूल रसीदों से कम से कम 10 प्रतिशत रसीदों को मिलान व सत्यापन करना ।</p> <p>6. नगर पालिका मार्केट, दूकाने, भूमि व अन्य संपत्ति के आवंटन हेतु सार्वजनिक घोष या टेण्डर्स आदि की कार्यवाही । अधिनियम व नियमों के प्रावधानों के अनुरूप करना, व संबंधित अनुबंधों का निष्पादन सुनिश्चित करना ।</p> <p>7. बकाया करों व शुल्कों व किराये की वसूली हेतु अधिनियम के प्रावधानानुसार बिल मांग सूचनापत्र व वारंट जारी करना व उनकी तामीली सुनिश्चित करना ।</p> <p>8. कांजी हौस की व्यवस्था व वसूली पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण ।</p> <p>9. विहित प्रारूपों में मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक या निर्धारित सामयिक पत्रों में करों आदि की वसूली की जानकारी विहित अधिकारी को देना ।</p>
3.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य विभाग		<p>लोक प्राधिकरण के इस विभाग का दायित्व नागरिकों को चिकित्सा व जन-स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं बिमारियों की रोक थाम, नगर की सफाई कचरा व ठोस अपशिष्टों का निपटान, ड्रेनेज व नालियों की सफाई आदि की व्यवस्था करना है । इन दायित्वों के निर्वहन हेतु वह निम्न कार्यों को सम्पन्न करना है –</p> <p>1. जन-स्वास्थ्य के लिये वेक्सीनेशन की</p>

			<p>व्यवस्था ।</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. महामारी के समय प्रतिबंधात्मक उपाय, दवाइयों का विवरण व चिकित्सीय व्यवस्था । 3. पशुवध गृह, होटलो आदि का निरीक्षण । 4. खाद्य पदार्थों व पेय पदार्थों की जाँच । 5. नगरीय क्षेत्र की सड़को, नालो व नालीयों की सफाई । 6. सार्वजनिक शौचलयों, मूत्रालयों (सुलभ शौचालयो) का निर्माण । 7. शुष्क शौचालयों को शौचालय में परिवर्तन । 8. शुद्ध पर्यावरण हेतु उद्यानो का निर्माण, रखरखाव व वृक्षारोपण । 9. केन्द्र एवं राज्य शासन की कल्याणकारी योजनाओं हेतु सर्वे, रजिस्ट्रीकरण एवं हितग्राहियों को सहायक वितरण ।
4.	लोक निर्माण विभाग		<p>अधिकरण के इस विभाग के निम्न कार्य व कर्त्तव्य है ।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. नगर विकास से संबंधित समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन, निर्माण कार्यो का संपादन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण । 2. नगर के सुनियोजित विकास की दृष्टि से कालोनियों के विकास की नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत वांछित स्वीकृति, भवन निर्माण की अनुमति दी जाना । 3. जन सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक भवनो, सार्वजनिक सड़को, फुटपाथो व खुली भूमियों से अतिक्रमण हटाने । 4. बिना अनुमति एवं अनुमति के विरुद्ध निर्माण कार्यो को हटाना व उनके विरुद्ध विधानांतर्गत कार्यवाही करना ।
5.	जलकार्य विभाग		<p>प्राधिकरण का जल कार्य विभाग निम्न कर्त्तव्य व कार्यो को सम्पन्न करना है –</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जलप्रदाय की सम्पूर्ण व्यवस्था – इन्टेकवेल – फिल्टर प्लांट, स्टोरेज, सप्लाय का

		<p>संधारण एवं पर्यवेक्षण ।</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. मुख्य व वितरण पाईप लाईन का संधारण परिवर्धन, परिवर्तन । 3. पब्लिक स्टेण्ड का संधारण । 4. जलकष्ट की स्थिति में पेयजल की व्यवस्था टैंकर्स व अन्य साधनों से सुलभ कराना । 5. व्यक्तिगत नल कनेक्शन की स्वीकृति व उनका पर्यवेक्षण । 6. नगर पालिका के स्वामित्व व सार्वजनिक जलस्रोतो, तालाबो, कुओं आदि का संधारण ।
6.	कर्मशाला विभाग	<p>इस विभाग का कार्य नगरीय निकाय के वाहनों, मशीनो व पम्पो आदि के संधारण व मरम्मत की व्यवस्था करना है, साथ ही वाहनों के लिये चालक परिचालक, क्लीनर आदि स्टाफ की उपस्थित, अवकाश आदि का नियंत्रण भी इस विभाग के जिम्मे रहता है ।</p>
7.	अग्निशामक विभाग	<p>कार्य एवं कर्त्तव्य</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अग्निशामक वाहनों का संधारण । 2. आग की स्थिति अग्निशामन की त्वरित व्यवस्था । 3. आपात स्थिति में प्रशासन व नागरिकों की सहायता ।
8.	शिक्षा विभाग	<p>शिक्षा विभाग के कार्य</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बाल मंदिरों की स्थापना व संचालन । 2. झूलाघरों की स्थापना व संचालन । 3. म.प्र नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्ते) नियम 2005 के प्राधानुसार शिक्षको की नियुक्ति ।

अध्याय – दो

प्राधिकरण के विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्य व शक्तियाँ

क.

क्र.	नाम पदाधिकारी		शक्तियाँ		कर्त्तव्य
1.	2.		3.		4.
1.	नगर पालिका परिषद 1. श्री युवराज महाजन (अध्यक्ष) 2. श्री भागवत तुकाराम चौधरी (उपाध्यक्ष) 3. श्रीमती उषाबाई सुभाष (पार्षद) 4. श्री वामनराव ससाने (पार्षद) 5. श्रीमती बेबीबाई रविन्द्र चांदोडे (पार्षद) 6. श्रीमती रुकैयाबी शे. मेहमूद (पार्षद) 7. श्री जगन्नाथ कडू महाजन (पार्षद) 8. श्री गजानन निभोरकर (पार्षद) 9. श्री अशोक बारी (पार्षद) 10. श्रीमती सुगंधाबाई त्रंबक (पार्षद) 11. श्री विजय गावंडे (पार्षद) 12. श्री बाजीराव पौलाद (पार्षद) 13. श्री रमेश चौपडे (पार्षद) 14. सै. भूरा सै. हेदर (पार्षद) 15. श्री शे. साजीद शे. सफी (पार्षद) 16. श्रीमती गीताबाई बाबूराव कोली (पार्षद)	1.	म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रदत्त प्रशासकीय एवं वित्तीय शक्तियाँ ।	1.	अधिनियम 1961 की धारा 123 में विनिर्दिष्ट कर्त्तव्य ।
		2.	आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाएँ तैयार करना ।	2.	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को अवकाश की स्वीकृति ।
		3.	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को अवकाश की स्वीकृति ।	3.	परामर्श दात्री समिति का निर्वाचन ।
		4.	करारोपण एवं शुल्कों की स्वीकृति	4.	धारा 109 के प्रावधानान्तर्गत नगर पालिका संपत्ति का अंतरण ।
		5.	सम्पत्ति कर हेतु वार्षिक भाड़ा मूल्य का निर्धारण	5.	अधिनियम के प्रयोजनों हेतु ऋण लेने की शक्ति
		6.	प्रायवेट पथ को सार्वजनिक पथ घोषित करने की शक्ति	6.	वार्षिक आय – व्यय की स्वीकृति ।
		7.	सार्वजनिक पथों को नियमित लाईन का निर्धारण	7.	क. 50,000/- से अधिक जनसंख्या की नगर पालिका की दशा में 2 लाख से 50 लाख तक ख. 50,000/- से कम जनसंख्या की नगर पालिका की दशा में 1 लाख से 30 लाख तक ग. नगर पंचायत की दशा में 50,000/- से 15 लाख तक के कार्यों की वित्तीय स्वीकृति ।
		8.	मण्डी (मार्केट) की स्थापना		
		9.	आदर्श दुग्ध उद्योग की स्थापना		

		10.	धारा 307 के अंतर्गत अपील सुनने		
		11.	परिषद की ओर से विधिक कार्यवाही		
		12.	परिषद की ओर से अभियोजन की स्वीकृति		
		13.	अधिनियमों से प्रयोजनों हेतु उपविधियों का निर्माण		
2.	<p>प्रेसीडेंट इन काउंसिल</p> <p>1. श्री युवराज महाजन (सभापती)</p> <p>2. श्री भागवत चौधरी (सदस्य)</p> <p>3. श्री जगन्नाथ कडू महाजन (सदस्य)</p> <p>4. श्री सै. भूरा सै. हेदर (सदस्य)</p> <p>5. श्रीमती सुगंधाबाई त्रंबक महाजन (सदस्य)</p> <p>6. श्रीमती गीताबाई बाबूराव कोली (सदस्य)</p>	1.	धारा 94 (1) (2) (6) के अंतर्गत कर्मचारियों की नियुक्ति एवं दण्ड	1.	94 (1), (2) व (6) के अंतर्गत आनेवाले पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति ।
		2.	500/- से अनाधिक वार्षिक भाड़ा मूल्य एवं प्रिमियम को स्थान/संपत्ति को भाडे पर की स्वीकृति	2.	धारा 109 व संबंधित नियमों अंतर्गत स्थान/संपत्ति का अंतरण ।
		3.	<p>वित्तीय शक्तियाँ</p> <p>क. 50,000/- से अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका की दशा में रु 15000/- से अधिक 2 लाख तक ।</p> <p>ख. 50,000/- से कम जनसंख्या वाली नगर पालिका की दशा में रु 10,000/- हजारे से अधिक 1 लाख तक ।</p> <p>ग. नगर पंचायत की दशा में रु. 5 हजार से अधिक 50 हजार तक ।</p>	3.	वित्तीय अधिकार की सीमा तक निर्माण कार्य/खरीदी की स्वीकृति ।

		4.	अधिनियम की धारा 93 (1) 94 (1)(2), 121 (1), 126, 160, 168 (7), 228, 235, 237, 238, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 253 (1) (3) 255 (1), 261, 262 (1)(3), 263, 265, 267, 272, 273, 274, 281 वे अंतर्गत प्राप्त शक्तियां ।	4.	कालम 2 के खण्ड (4) में उल्लेखित धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही ।
3.	अध्यक्ष श्री युवराज महाजन	1.	परिषद की बैठक की अध्यक्षता व संचालन एवं विनियम,	1.	परिषद के निर्णयों का निष्पादन व संचालन ।
		2.	अधिनियम की धारा 183 (5), 184, 186, 190, 203, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 218, 219, 268 एवं 283 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियाँ ।	2.	परिषद की 184, 185 वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी ।
		3.	आपात काल में परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्यों के निष्पादन व व्यय की स्वीकृति ।	3.	कार्यपालक प्रशासन, परिषद के लेखाओं, अभिलेखों से संबंधित कार्यों व कार्यवाहियों का पर्यवेक्षण व नियंत्रण ।
		4.	परिषद/प्रेसीडेन्ट इन काउंसिल द्वारा प्रदत्त अधिकारों अन्तर्गत स्वीकृतियाँ व कार्य ।		
4.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री गणेश दुबे	1.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति व दण्ड	1.	नगर पालिका के समस्त कार्यपालक एवं वित्तीय प्रशासन पर निगरानी ।
		2.	सफाई कर व अन्य करों की कर निर्धारण सूची तैयार करना	2.	नगर पालिका की ओर से पत्राचार ।
		3.	कर निर्धारण आपत्तियों का निराकरण	3.	परिषद द्वारा लिये गये निर्णयों का अधिनियम व उसके अंतर्गत बने नियमों अनुसार पालन ।

		4.	करों व भाड़े की वसूली हेतु वित्तीय बिल, मांग सूचना पत्र, वारंट जारी करने की शक्ति	4.	अधिनियम की धारा 180 (1)(2), 185, 187-ए, 191, 192, 194, 195, 196, 198, 199, 200 (2) 204, 208, 213, 215, 216, 217, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 232, 233, 234, 236, 239, 241, 242, 246, 250, 251, 252 एवं 285।
		5.	<p>वित्तीय शक्तियाँ</p> <p>क. 50,000/- से अधिक जनसंख्या की नगर पालिका की दशा में रु. 15,000/- तक।</p> <p>ख. 50,000/- से कम जनसंख्या की नगर पालिका की दशा में रु. 10,000 तक।</p> <p>ग. नगर पंचायत की दशा में रु. 5,000/- तक के कोई खरीदी की स्वीकृति।</p>		
		6.	अन्य शक्तियाँ जो परिषद/प्रेसीडेन्ट इन काउंसिलि द्वारा प्रदत्त या प्रत्यायोजित की जावे।		
		7.	राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण कार्यो की स्वीकृति।		

अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी

विभाग	पदाधिकारी का नाम	पद	कर्त्तव्य	शक्तियाँ यदि कोई प्रदाय की गई हो
1.	2.	3.	4.	5.
समान्य प्रशासन विभाग	श्री गणेश दुबे श्री पुंडलिक भुते	मु.न.पा. अधि उ. श्रे. लि.	न.पं. के कार्यों पर नियंत्रण और नियमन बनाये रखे । 1. कार्यालय की समुचित व्यवस्था 2. अधिकारी कर्मचारी की उप., अवकाश, कार्यविभाजन 3. कार्यालय के पत्र व्यवहार का संघारण 4. रिकार्ड पत्रों का आवक जावक 5. पंजीकरण निरस्तीकरण 6. कार्या. में निरि. 7. वरि. अधि. के निरि. प्रतिवेदन का पालन 8. कर्मचारीयो द्वारा वसूली गई राशि को रोकड पुस्तक में अंकित करना व बैंक में जमा करना 9. जन्म मृत्यु की घटनाओ का प्रमाण पत्र बनाना 10. कार्यालय के समस्त टंकण कार्य	
	श्री राजेश भारती श्री शेख इसाक	भृत्य मु लि. एवं लेखापाल	अधि. के निर्देशो का पालन 1. निकाय के करो व अन्य मदो मे कर्मचारी द्वारा वसूल की गई राशि को रोकड पुस्तक मे अंकित करना । 2. निकाय के समस्त भुगतानों की जांच करना । 3. किये गये कार्य की स्विकृति, बजट प्रावधान, लेजर बुक मे प्रविश्ट दर्ज करना । स्टाफ रजिस्टर जांच व सक्षम अधिकारी की स्विकृती प्राप्त कर भुगतान करना व उसका लेखा पुस्तिका मे संघारित करना । 4. मासिक, त्रैमासिक व वार्षिक लेखाओ को तैयार करना व वरि. अधि. को भेजना । 5. वार्षिक आय-व्यय अनुमान पत्रक तैयार करना ।	

			<p>6. समस्त प्रतिभूतियों, अमानतों, अग्रिमों के लेखों का संघारण ।</p> <p>7. ऋण एवं अनुदान से प्राप्त समस्त राशियों को लेखाओं का संघारण ।</p> <p>8. जन सहयोग या स्वेच्छिक अभिदाता द्वारा प्राप्त राशियों का लेखा लिघारण प्रारूप रजिस्टर में रखना ।</p> <p>9. प्राधिकरण के संपूर्ण अधिकार्यों एवं कर्मचारीयों के सेवा अभिलेखों का संघारण</p> <p>10. लेखाओं का अंकेक्षण एवं अंकेक्षण प्रनिवेदनों का निराकरण ।</p>	
राजस्व विभाग	श्री वसंत पाटील	राजस्व उप निरिक्षक	<p>प्राधिकरण के राजस्व विभाग का मुख्य कार्य एवं कर्त्तव्य निकाय द्वारा आरोपित समस्त करों शुल्को, एवं अन्य प्रभार तथा नगर पालिका मार्केट्स, स्लाटर हाउस एवं अस्थायी एवं स्थायी लीजरेंट तथा भूमि किराया – प्रिमियम आदि से संबंधित अभिलेख विहित प्रारूप में संघारण एवं वसूली करना है, इन कर्त्तव्यों की पूर्ति हेतु उसके द्वारा निम्न कार्य संपादित किये जाते है ।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सम्पत्ति कर, सफाई कर, जलकर, प्रकाश का, शिक्षाकर एवं अन्य सभी करों, जिनकी कर निर्धारण सूची वार्षिक तैयार की जाती है, उनकी कर <p>निर्धारण रजिस्टर निर्धारित प्रपत्र में तैयार करना ।</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना 2. करो की सूचना, बिल, जब्ति कूर्कि करना । 3. नामात्रण कार्यवाही करना 4. अतिक्रमण हटाना 5. परिशद व अन्य समिनियों की बैठको कि सूचना बनाना एवं बैठको के कार्य का निर्धारण करवाना

			<p>2. निकाय द्वारा आरोपित समस्त करों व शुल्को की शीघ्र वसूली करना</p> <p>3. करों शुल्को व अन्य देयक राशियों की वसूली हेतु निर्धारित प्रारूप में आवश्यक संख्या में रसीद बुको की व्यवस्था उसके संशय व समाप्त होने पर वापस जमा करना, सुनिश्चित करना ।</p> <p>4. राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा वसूल की गई राशि का यथा समय नगर पालिका कोष में जॉच उपरांत जमा करना व उसका पर्यवेक्षण करना ।</p> <p>5. राजस्व विभाग द्वारा जारी रसीदों का मूल रसीदों से कम से कम 10 प्रतिशत रसीदों को मिलान व सत्यापन करना ।</p> <p>6. नगर पालिका मार्केट, दूकाने, भूमि व अन्य संपत्ति के आवंटन हेतु सार्वजनिक घोष या टेण्डर्स आदि की कार्यवाही । अधिनियम व नियमों के प्रावधानों के अनुरूप करना, व</p>	
--	--	--	---	--

			<p>संबंधित अनुबंधो का निष्पादन सुनिश्चित करना ।</p> <p>7. बकाया करों व शुल्को व किराये की वसूली हेतु अधिनियम के प्रावधानुसार बिल मांग सूचनापत्र व वारंट जारी करना व उनकी तामीली सुनिश्चित करना ।</p> <p>8. कांजी हौस की व्यवस्था व वसूली पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण</p> <p>9. विहित प्रारूपो में मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक या निर्धारित सामयिक पत्रको में करों आदि की वसूली की जानकारी विहित अधिकारी को देना ।</p>	
	श्री सुधाकर महाजन	स. रा. नि.	<p>1. निर्धारित वार्डों की वसूली लक्ष्य अनुरूप करना ।</p> <p>2. अधिकारीयों के निर्देशो का पालन करना ।</p>	समितियों कि बैठक बुलाना व कार्य वृत्त तैयार करना ।
	श्री जगन्नाथ महाजन	स. रा. नि.	<p>1. निर्धारित वार्डों की वसूली लक्ष्य अनुरूप करना</p> <p>1. अधिकारीयों के निर्देशो का पालन करना ।</p>	परिषद एवं अन्य समितिओ के विषय संग्रहित करना व बैठके बुलाना
	श्री कैलाशचंद कर्मा	स. रा. नि.	<p>1. निर्धारित वार्डों कि वसूली निर्धारित करना व अधिकारीयो के निर्देशो का पालन करना ।</p> <p>2. मासिक त्रैमासिक व वार्षिक वसूली पत्रक तैयार करना ।</p>	सहायक लोक सूचना अधिकारी का कार्य करना ।
	श्री संजय जैन		<p>1. आदेशो का पालन करना ।</p> <p>2. समस्त प्रकार की विविध वसूली का संग्रहण करना ।</p> <p>3. निलामी ठेको कि वसूली करना ।</p> <p>4. नगर पालिका स्वामित्व</p>	

			कि दुकाना, भवन वसूली ।	
	श्री बाजीराव महाजन	स. रा. नि.	<ol style="list-style-type: none"> 1. योजना प्रभार का निर्वाह । 2. समस्त प्रकार के राशन कार्डों का निर्माण व वितरण । 3. अधिकारीयो के आदेशो का पालन । 4. मध्यांन भोजन । 	मध्यांन भोजन का शालाओं मे निरिक्षण । शिक्षा समिति की बैठक लेना ।
	श्री विलास पाटील	स. रा. नि.	<ol style="list-style-type: none"> 1. योजना प्रभारी में कार्यो मे सहयोग एवं कार्य संपादित करना 2. अधिकारीयो के आदेशो का पालन करना । 	
	श्री फकिरा जवरे	स. रा. नि.	<ol style="list-style-type: none"> 1. कांजी हौस कार्य । 2. अधि. के आदेशो का पालन करना । 	
	श्री बालू जंजालकर	स. रा. नि.	<ol style="list-style-type: none"> 1. अधि. के आदेशो का पालन करना । 2. बताये गये वसूली कार्य करना । 	1. अतिक्रमण हटाना
	श्री लक्ष्मण नारायण	भृत्य	1. अधि. के निदेशो का पालन करना ।	
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य विभाग	1. श्री सतीष भारदवाज	स. दरोगा	<p>लोक प्राधिकरण के इस विभाग का दायित्व नागरिको को चिकित्सा व जन-स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं बिमारियों की रोक थाम, नगर की सफाई कचरा व ठोस अपशिष्टो का निपटान, ड्रेनेज व नालीयो की सफाई आदि की व्यवस्था करना है । इन दायित्वों के निर्वहन हेतु वह निम्न कार्यो को सम्पन्न करना है ।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. पशुवध गृह, होटलो आदि का निरीक्षण । 2. खाद्य पदार्थो व पेय पदार्थो की जाँच । 3. नगरीय क्षेत्र की सड़को, नालो व नालीयो की सफाई । 4. सार्वजनिक शौचलयों, मूत्रालयो (सुलभ शौचालयो) का निर्माण 	अतिक्रमण हटाना

			<p>5. शुष्क शौचालयों को शौचालय में परिवर्तन</p> <p>6. शुद्ध पर्यावरण हेतु उद्यानो का निर्माण, रखरखाव व वृक्षारोपण</p> <p>7. केन्द्र एवं राज्य शासन की कल्याणकारी योजनाओं हेतु सर्वे, रजिस्ट्रीकरण एवं हितग्राहियों को सहायक वितरण ।</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. श्रीमती शांति बंसी 2. श्रीमती ललीता किशोर 3. श्रीमती कमला बंशी 4. श्रीमती गिता चरण 5. श्री अशोक जीवन 6. श्री विनोद छगन 7. श्री मंगल भप्पू 8. श्री रमेश बंसी 9. श्री विश्णू किसन 10. श्री मधुकर बाबू 11. श्री अरुण मूलचंद 12. श्रीमती लक्ष्मी कन्हैया 13. श्रीमती रमा रमेश 14. श्री चरण बाबू 15. श्री अरुण केशव 16. श्री रविन्द्र 	सभी स. कामगार	<p>क 1 से 23 तक सभी का कार्य नाली सडक सफाई करना व कचरा उठाना</p> <p>अधिकारियों एवं सफाई दरोगा के आदेशो का पालन ।</p>	

	<p>तुलसीराम 17. श्री साहेबराव ऐकनाथ 18. श्री कैलाश बंसी 19. श्री वसंत सीताराम 20. श्री माणिक बाबू 21. श्री प्रताप दगडू 22. श्री राकेश मांगीलाल 23. श्री नानू विठ्ठल</p>			
	श्री लक्ष्मण माली	ट्रेक्टर ड्राईवर	1. अधिकारीयो के आदेशो का पालन करना ।	
जल कार्य विभाग	श्री सुधाकर महाजन एवं श्री प्रकाश महाजन	प. अ.	<p>प्राधिकरण का जल कार्य विभाग निम्न कर्त्तव्य व कार्यों को सम्पन्न करना है –</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जलप्रदाय की सम्पूर्ण व्यवस्था – इन्टेकवेल – फिल्टर प्लांट, स्टोरेज, सप्लाय का संधारण एवं पर्यवेक्षण । 2. मुख्य व वितरण पाईप लाईन का संधारण परिवर्धन, परिवर्तन । 3. पब्लिक स्टेण्ड का संधारण । 4. जलकष्ट की स्थिति में पेयजल की व्यवस्था टैंकर्स व अन्य साधनों से सुलभ कराना । 5. व्यक्तिगत नल कनेक्शन की स्वीकृति व उनका पर्यवेक्षण । 6. नगर पालिका के स्वामित्व व सार्वजनिक 	जल प्रदाय विभाग प्रभारी श्री सुधाकर महाजन

			जलस्रोतो, तालाबो, कुओं आदि का संधारण ।	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. श्री सुरेश काटोलकर 2. श्री रामकृष्ण दशरथ 3. श्री नारायण पाटील 4. श्री लाला भाई चारण 5. श्री सुभाश ससाने 6. श्री संतोश पाटील 7. श्री अनिल वाघे 	<p>प. कूली</p> <p>प्लंबर</p> <p>प्लंबर</p> <p>लाईन मैन</p> <p>वाहन चालक</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. जल प्रदाय प्रभारी एवं अन्य अधिकारीयो के आदेशो का पालन करना । <p>जल प्रदाय प्रभारी एवं अन्य अधिकारीयो के आदेशो का पालन करना ।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अग्निशामक वाहनों का संधारण । 2. आग की स्थिति अग्निशामन की त्वरित व्यवस्था । 3. आपात स्थिति में प्रशासन व नागरिकों की सहायता । 	
प्रकाश विभाग	श्री कडू महाजन	वायर मैन	नगर की प्रकाश व्यवस्था बनाए रखने का संपूर्ण दायित्व	
शिक्षा विभाग	<ol style="list-style-type: none"> 1. कु. संजीदा बरकत कुरेशी 2. श्रीमती अनिता सतीश गर्ग 3. श्री विजय रामदास तुलसकर 4. श्री रमेश जयराम फायके 5. श्री पंढरीनाथ उखर्डू महाजन 6. श्री महेन्द्र अरुण 	सभी शिक्षाकर्मी	सभी का कार्य नियुक्ति अनुसार शिक्षण कार्य करना	

	<p>पडोले</p> <p>7. श्री निलेश सिंह</p> <p>कुशवाह</p> <p>8. श्री कैलाश भीडे</p> <p>9. दु. सवीता भट्ट</p> <p>10. श्री संजय सावकारे</p> <p>11. श्री छन्नू जांबेकर</p> <p>12. श्री प्रविण महाजन</p> <p>13. दु. प्रभा वामनराव</p> <p>14. मो. अमीन मो. हुसेन</p>			
	<p>1. श्री सद्दू छगन निराले</p> <p>2. श्री नरसिंह रावत</p> <p>3. दु वनमाला आखरे</p> <p>4. श्री अंबाराम चौहान</p> <p>5. दु. विणा सशाणे</p> <p>6. मो. आरिफ मो. सफी</p>	सभी संविदा शिक्षक	सभी का कार्य नियुक्ति अनुसार शिक्षण कार्य करना ।	

अध्याय – तीन

विनिश्चय/निर्णय किये जाने के प्रक्रम में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और निगरानी/पर्यवेक्षण तथा जवाबदेही के माध्यम/सरणी

1. परिषद :-

प्रेषककर्त्ता – मुख्य नगर पालिका अधिकारी, अध्यक्ष अथवा प्रेसिडेंट इन काउंसिल के अनुमोदन से।

निर्णयकर्त्ता – परिषद

अपील/पुनरीक्षण – शासन

2. प्रेसिडेंट इन काउंसिल –

प्रेषककर्त्ता – मुख्य नगर पालिका अधिकारी

निर्णयकर्त्ता – प्रेसिडेंट इन काउंसिल

अपील/पुनरीक्षण – परिषद/संचालक

क

विभाग	प्रकरण प्रारंभकर्त्ता कर्मचारी	डिलींग कर्मचारी	अधिकारी जिसके माध्यम से निर्णय हेतु प्रस्तुत होता है	निर्णयकर्त्ता अधिकारी	निगरानी/पर्यवेक्षण अधिकारी	प्राधिकारी जिसके प्रति उत्तरदायी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
सामान्य प्रशासन नगर पंचायत – शाहपुर	उ.श्रे.लि.	उ.श्रे.लि.	मु.लि.लेखा.	मु.न.पा. अधि. / पी.आई.सी / परिषद	मु.न.पा. अधि. / परिषद	न.पं. शाहपुर
	मु.लि. व लेखापाल	मु.लि. लेखा.	मु.न.पा. अधि.	मु.न.पा. अधि. / पी.आई.सी / परिषद	मु.न.पा. अधि. / परिषद	न.पं. शाहपुर
राजस्व विभाग	राजस्व उपनिरीक्षक	राजस्व उपनिरीक्षक	मु.न.पा. अधि.	मु.न.पा. अधि. / पी.आई.सी / परिषद	मु.न.पा. अधि. / परिषद	न.पं. शाहपुर
	सहायक राजस्व निरीक्षक	राजस्व उपनिरीक्षक	राजस्व उपनिरीक्षक	मु.न.पा. अधि. / पी.आई.सी / परिषद	मु.न.पा. अधि. / परिषद	न.पं. शाहपुर
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य विभाग	सफाई दरोगा	सफाई दरोगा	उ. श्रे. लि.	मु.न.पा. अधि. / पी.आई.सी / परिषद	मु.न.पा. अधि. / परिषद	न.पं. शाहपुर

जल कार्य विभाग	पंप अटेंडेंट	मु. लि. लेखा.	मु.न.पा. अधि.	मु.न.पा. अधि.	मु.न.पा. अधि.	मु.न.पा. अधि.
प्रकाश विभाग	वायरमेन	उ. श्रे. लि.	उ. श्रे. लि.	मु.न.पा. अधि.	मु.न.पा. अधि.	मु.न.पा. अधि.
शिक्षा विभाग	शिक्षा कर्मी	स. रा. नि.	राजस्व उपनिरीक्षक	मु.न.पा. अधि.	मु.न.पा. अधि.	मु.न.पा. अधि.
	संविदा शिक्षक	स. रा. नि.	राजस्व उपनिरीक्षक	मु.न.पा. अधि.	मु.न.पा. अधि.	मु.न.पा. अधि.

क्रमांक	आदेश / पदाधिकारी / अधिकारी	आदेश जिसके विरुद्ध अपील का प्रावधान है	अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4
1	परिषद (क)	308 नियम 193,197, 219 तथा 231 व इसके अधीन बने नियम	जिलाधीश
2	प्रेसीडेंट इन काउन्सिल	नियम 12 के अंतर्गत बनाये गये नियम	परिषद / आयुक्त नगरीय प्रशासन विकास
3	अध्यक्ष (ख)	183 (5) (क) तथा (ख) 184,187,190,203, 205,206,207,209,210,211,212,218,229,268 ,283	कलेक्टर
4	मु. न. पा. अधिकारी (ग)	180, (1) व (2) 185,191,192,194,208,220 221,223,227,242,251 व 285 व इनके अंतर्गत नियम	कलेक्टर

अध्याय – चार

प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिये उसके द्वारा निर्धारित मानदण्ड / प्रतिमान

क. अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये निम्न मानदण्ड एवं समय सीमा निर्धारित की गई –

सीटीजन चार्टर

क्र	कार्य / गतिविधि / योजना का नाम	प्रभारी / विहित अधिकारी	निपटारे कि समय सीमा	निर्धारित समय सीमा में जानकारी प्राप्त न होने पर जिस अधि. को शिकायत कि जाना है उसका पद नाम	शिकायत के निराकरण की समय सीमा
1	2	3	4	5	6
1	भवन निर्माण अनुज्ञा व कालोनाइजर				
1.1	भवन निर्माण मानचित्रकी अनुज्ञा प्रदान करना	मु.न.पा. अधि.	30 दिन	कलेक्टर	30 दिन
1.2	अनुज्ञा की समयावधि में वृद्धि	मु.न.पा. अधि.	30 दिन	कलेक्टर	30 दिन
1.3	अनुज्ञा का नविनीकरण करना	मु.न.पा. अधि. न.पं.	15 दिन	कलेक्टर	30 दिन
1.4	भवन पूर्णता प्रमाण पत्र व उपयोग में लाने का अनुज्ञा प्रदान करना	मु.न.पा. अधि. न.पं.	15 दिन	कलेक्टर	30 दिन
1.5	अवैध निर्माण शिकायत का निराकरण	सिटी प्लानर / मु.न.पा. अधि. न.पं.	7 दिन	कलेक्टर	30 दिन

1.6	कालोनाईजर के आवेदन पर रजिस्ट्रीकरण	निगमो के लिये आयुक्त न.पा. न.प. के लिये अनु. अधि. (सिविल)	30 दिन	सचिव नगर प्रशासन व विकास विभाग	60 दिन
2	मार्गों का रख रखाव संबंधी चार्टर				
2.1	मार्गों का गड़डो का भरना	न.प.	7 दिन	मु.न.पा. अधि.	7 दिन
2.2	मार्ग के खराब पेंच भाग की मरम्मत	न.प.	15 दिन	मु.न.पा. अधि.	15 दिन
2.3	सार्वजनिक मार्ग से अवरोध हटाना	न.प.	15 दिन	मु.न.पा. अधि.	7 दिन
2.4	टूटे/गुमे मेन होल को लगाना/बदलना	न.प.	3 दिन	मु.न.पा. अधि.	7 दिन
2.5	सार्वजनिक स्थल से भूमि भवन स्वामि द्वारा मलवा हटाना	न.प.	48 घंटे मे नोटिस जारी करना	मु.न.पा. अधि.	3 दिन
3	जल प्रदाय संबंधी चार्टर				
3.1	नल जल कनेक्शन अ. औद्योगिक प्रयोजन हेतु ब. व्यवसायिक प्रयोजन हेतु स. घरेलु	न.प.	15 दिन 15 दिन 7 दिन	मु.न.पा. अधि.	15 दिन
3.2	आवेदन फार्म की प्राप्ति क्षेत्रीय वार्ड	न.प.	11 से 4 बजे तक	मु.न.पा. अधि.	15 दिन
3.3	टावेदन फार्म जमा किया	नगर पंचायत	11 से 4 बजे तक	मु.न.पा. अधि.	3 दिन
3.4	आवेदन की पावती	न.प.	डसी समय	मु.न.पा. अधि.	3 दिन
3.5	टावेदन कमियो की सूचना	न.प.	3 दिन	मु.न.पा. अधि.	7 दिन
3.6	कनेक्शन की स्वीकृती आदेश	न.प.	3 दिन	मु.न.पा. अधि.	7 दिन
3.7	मार्ग काटने की स्वीकृती	न.प.	15 दिन	मु.न.पा. अधि.	7 दिन

3.8	टैंकर के माध्यम से जल प्रदाय	न.प.	4 से 6 घंटे	मु.न.पा. अधि.	उसी दिन
3.9	कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त जल प्रदाय	न.प.	15 दिन कार्यक्रम के पूर्व	मु.न.पा. अधि.	कार्यक्रम के दिन
3.10	मैन पाइप लाइन में रिसाव/लिकेज दूषित जल की शिकायत का निराकरण	मुख्यालय जल कार्य विभाग कंट्रोल रूम	48 घंटे	मु.न.पा. अधि.	3 दिन
3.11	पाइप लाइन/सार्वजनिक नलों की मरम्मत	जल कार्य विभाग	3 दिन	मु.न.पा. अधि.	7 दिन
4	सफाई संबंधी चार्टर				
4.1	आवासीय मार्गों की सफाई में चुक की आवेदनो का निराकरण	नगर पंचायत	अगले दिन	मु.न.पा. अधि.	3 दिन
4.2	मार्केट क्षेत्रों की सफाई समस्या का निपटारा	नगर पंचायत	प्रतिदिन	मु.न.पा. अधि.	3 दिन
4.3	कचरा पेटी/ट्राली से कचरा हटाना	नगर पंचायत	प्रतिदिन	मु.न.पा. अधि.	3 दिन
4.4	आवारा कुत्तो सुअरो की समस्या निराकरण	नगर पंचायत	3 दिन	मु.न.पा. अधि.	7 दिन
5	जल मल निकासी संबंधी चार्टर				
5.1	जलमल निकासी मार्ग के अवरोधों को हटाना	न.प.	3 दिन	मु.न.पा. अधि.	7 दिन
5.2	नालियों की सफाई	न.प.	2 दिन	मु.न.पा. अधि.	3 दिन
5.3	नालियों से अतिक्रमण हटाना	न.प.	7 दिन	मु.न.पा. अधि.	15 दिन
5.4	नालों की सफाई	न.प.	वर्ष में 2 बार मई – जून व अक्टू	मु.न.पा. अधि.	नियत निधि से 15 दिन

6	जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना	न.प.	7 दिन	कलेक्टर	7 दिन
7	लायसेंस जारी करना (समस्त प्रकार के) व नवीनीकरण	न.प.	7 दिन	कलेक्टर	15 दिन
8	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना				
8.1	टावेदन पत्र पूर्ण कर बैंकों को प्रेशित करना पंचायत/वार्ड/जोन	न.पा. अधि.	7 दिन	कलेक्टर	15 दिन
8.2	बैंको से स्वीकृति	न.प.	7 दिन	कलेक्टर	15 दिन
8.3	ऋण स्वीकृति पश्चात भुगतान	न.प.	7 दिन	कलेक्टर	15 दिन
9	राशन कार्ड				
9.1	राशन कार्ड के आवेदनों का निराकरण प्रदाय करना	न.प.	7 दिन	कलेक्टर	7 दिन
9.2	राशन कार्ड में संशोधन कार्ड नया होने पर प्रमाण पत्र जारी करना	न.प.	7 दिन	कलेक्टर	7 दिन
10	कल्याण योजनाएं				
10.1	वृद्धावस्था पेंशन व निराश्रित पेंशन आवेदन पत्रों का निराकरण	न.प.	15 दिन	कलेक्टर	15 दिन
10.2	राष्ट्रीय परिवार सहायता	न.प.	15 दिन	कलेक्टर	15 दिन
10.3	राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना	न.प.	15 दिन	कलेक्टर	15 दिन
10.4	बालिका स्मृद्धि योजना	न.प.	15 दिन	कलेक्टर	15 दिन
11	अतिक्रमण मुहिम				
11.1	अवैध निर्माण की शिकायत पर कार्यवाही	न.प.	7 दिन	कलेक्टर	15 दिन
12	पक्के अवैध निर्माणों को हटाना	न.प.	अतिक्रमण हटाओ	कलेक्टर	15 दिन

			मुहिम के अंतर्गत		
13	स्ट्रीट लाईट				
13.1	स्ट्रीट लाईट का रख रखाव व मरम्मत	न.प.	7 दिन	कलेक्टर	7 दिन
13.2	बल्ब ट्युब आदि खराब होने पर मरम्मत या बदलना	न.प.	3 दिन	कलेक्टर	7 दिन
14	निःशक्त व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम				
14.1	पार्किंग की व्यवस्था	मु. न. पा. अधि.	7 दिन	कलेक्टर	15 दिन
14.2	सार्वजनिक भवनों में रेम्प/शौचालय आदि बनाना	मु. न. पा. अधि.	15 दिन	कलेक्टर	15 दिन

नोट – सिटीजन चार्टर के अनुसार सेवाएँ प्रदान किये जाने के संबंध में समय-सीमा दर्शाते हुए कार्यालय के बाहर एक बोर्ड लगाया गया है ।

ख. कार्यालयीन कार्यों का वर्ष के निर्धारण/लक्ष्य (Quantity Target)

क्र	(क) करो की वसूली के लिये करो के नाम	चालू मांग	लक्ष्य	प्रतिशत	बकाया मांग	बकाया लक्ष्य	बकाया प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सम्पत्ति कर	237361	237361	100	89673	67465	75
2	समेकित कर	231540	231540	100	157902	118425	75
3	निजी जल कर	487800	487800	100	289590	217192	75
4	भूमि भवन किराया	32904	32904	100	3300	2475	75

1.	करों की वसूली के लिये	-	वित्तीय वर्ष की शत – प्रतिशत व बकाया का 75 प्रतिशत
2.	योजना कार्यों के लिये	-	अंकित समय सीमा
3.	बजट में प्रावधानित निर्माण कार्य	-	शत – प्रतिशत

नगर पालिका परिषद के कृत्यों का निर्वहन करने के लिये उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रण के अधीन या उसके कर्मचारियों/कर्मकारों/नियोजितों के द्वारा उपयोग किये गई, नियमों, विनियमों, अनुदेशों मुन्युअल्स और अभिलेख

1. अधिनियम

1. म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961,
2. केटल ट्रेस पास एक्ट,
3. जन्म मृत्यु पंजीयन एक्ट,
4. मनी लेंडिंग ऐक्ट
5. श्रम अधिनियम
6. दुकान स्थापना अधिनियम

2. नियम

नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत निर्मित नियम,

1. धारा 17 के अंतर्गत सीमाओं को चिन्हीत करने वाले नियम
2. धारा 23 के अंतर्गत म.प्र. न. पा. (निर्वाचन याचिका) नियम 1962
3. धारा 28 (8) के अंतर्गत विहित भ्रष्ट आचरण संबंधी नियम
4. म.प्र. न.पा. (प्रेसीडेन्ट इन काउंसिल) की शक्तियां तथा उनके कामकाज के संचालन हेतु प्रक्रिया नियम 1997
5. म.प्र. नगर पालिका (उपाध्यक्ष का निर्वाचन) नियम 1998
6. म.प्र. सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) नियम 1998
7. सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) नियम 1993
8. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों
9. म.प्र. न.पा. (वार्डों का विस्तार) नियम 1994.
10. नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत (मलेरिया तथा मच्छरो से उत्तपन्न अन्य बिमारीयों) उपविधियों 1999
11. म.प्र. नगर पालिका (प्राधिकारियों) के वित्तीय अधिकार तथा निविदा आमंत्रित करने की सीमा नियम 1994
12. धारा 127 के अंतर्गत म.प्र. नगर पालिका की सीमाओं के भीतर बेचे गये पशुओं के रजिस्ट्रीकरण पर फीस नियम 1988
13. धारा 127 के अंतर्गत म.प्र. न.पा. मण्डी फीस (निर्धारण तथा संग्रहण) नियम 1988
14. धारा 127 के अंतर्गत म.प्र. नगर पालिका प्रदर्शन कर (निर्धारण संग्रहण तथा वापसी) नियम 1988

15. धारा 127 के अंतर्गत म.प्र. नगर पालिका प्रकाश कर (निर्धारण संग्रहण तथा वापसी) नियम 1988.
16. धारा 127 के अंतर्गत म.प्र. नगर पालिका जल कर (निर्धारण संग्रहण तथा वापसी) नियम 1989.
17. धारा 127 के अंतर्गत म.प्र. नगर पालिका सफाई कर (निर्धारण संग्रहण तथा वापसी) नियम 1989.
18. धारा 127 के अंतर्गत म.प्र. नगर पालिका सीमाओ के भीतर आयात किये गये या वहां से निर्यात किये गये माल तथा पशुओ पर सीमा कर (निर्धारण तथा संग्रहण) नियम 1991
19. धारा 231 (1) के अंतर्गत अति भीड वाले क्षेत्रो से संबंधी नियम
20. धारा 157 (2) के अंतर्गत सुचना संबंधी नियम
- 21- **General Purpose Grants – In Aid Rules 1961.**
22. नगर पालिका धारा 29 (1) के अंतर्गत सारणी
23. नगर पंचायते धारा 29 (1) के अंतर्गत सारणी
24. राज्य शशासन में वेष्टित शक्तियो का प्रत्योजन
25. विहित प्राधिकारी
26. राज्य शशासन द्वारा विभिन्न आशायों के लिए अधिकृत पदाधिकारी
27. म.प्र. स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964
28. म.प्र. न.पा. (अध्यक्ष व उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम 1962 (धारा 43 के अंतर्गत)
29. अध्यक्ष की शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी नियम (धारा 51 (2) के अंतर्गत)
30. धारा 53 के अधीन सूची व मांग की सूचना के प्रारूप संबंधी
31. परिषद के कार्य वृत्तो के प्रकाशन संबंधी नियम (धारा 62 (2) के अंतर्गत)
32. स्थाइ समीती द्वारा शक्तियों के प्रयोग संबंधी नियम (धारा 70 (4) के अंतर्गत)
33. म.प्र. न.पा. (कार्यपालन समीती) नियम 1963 (धारा 71 (2) के अंतर्गत)
34. परिषद की शक्तियो कर्तवयो का कार्यपालन कृत्यो के प्रत्यायोजन संबंधी नियम (धारा 78 के अंतर्गत)
35. म.प्र. न.पा. (कार्यपालन) नियम 1973 (धारा 86 के अंतर्गत)
36. म.प्र. न.पा. सेवा (वेतनमान व भत्ता) नियम 1967 (धारा 95 के अंतर्गत)
37. म.प्र. न.पा. (कर्मचारी भर्ती व सेवा शर्ते) नियम 1968 (धारा 95 के अंतर्गत)
38. म.प्र. न.पा. (कर्मचारीयो को उधार की मंजूरी) नियम 1977 (धारा 95 के अंतर्गत)
39. म.प्र. न.पा. सेवा (पेंशन) नियम 1980 (धारा 95 व 86 के अंतर्गत)
40. म.प्र. न.पा. (न.पा. संपत्ति व निधि की प्रयुक्ति) नियम 1965 (धारा 106 के अंतर्गत)
41. परिषद द्वारा रखी जाने वाली न्युनतम नकद सिल्लक (कैश बेलेंस) संबंधी नियम (धारा 108 के अंतर्गत)
42. म.प्र. न.पा. (अचल संपत्ति अन्तरण) नियम 1996 (धारा 1096 के अंतर्गत)

43. म.प्र. न.पा. लेखा नियम, 1971 (धारा 113 व धारा 338 के अंतर्गत)
44. म.प्र. न.पा. (बजट अनुमान) नियम 1962
45. म.प्र. न.पा. (बजट अनुदानो मे फेर बदल या परिवर्तन करने संबंधी शर्तों) नियम 1962 (धारा 116 के अंतर्गत)
46. म.प्र. न.पा. (सार्वजनिक स्वागत पर किये जाने वाला अधिकतम खर्च) नियम (धारा 124 के अंतर्गत)
47. राज्य शशासन को मामला भेजने संबंधी नियम (धारा 122 के अंतर्गत)
48. म.प्र. न.पा. (परिषदो मार्गो भवनो तथा अन्य शशासकीय कार्यो का स्थानांतरण) नियम 1962 (धारा 124 के अंतर्गत)
49. म.प्र. नगर पालिका (लोक संस्थाओ को प्रबंध) नियम 1965 (धारा 125 के अंतर्गत)
50. कर आरोपण की सूचना के प्रकाशन की रीति संबंधी नियम (धारा 129 (2) के खंड के अंतर्गत)
51. सूचना के प्रकाशन के रीति संबंधी नियम (धारा 125 के अंतर्गत)
52. सूचना के प्रारूप संबंधी नियम (धारा 151 के अंतर्गत)
53. अचल संपत्ति के अन्तकरण पर श्शुल्क वसूली संबंधी नियम (धारा 161 के अंतर्गत)
54. धारा 164 (3) के अधीन मांग की सूचना संबंधी नियम
55. धारा 167 (1) के अंतर्गत वारंट संबंधी नियम
56. म.प्र. न.पा. समाहित अचल संपत्ति नियम विक्रय नियम 1963 (धारा 168 के अंतर्गत)
57. वसूली के अयोग्य धनाराशि को बट्टे खाते मे डालने संबंधी नियम, धारा 178 के अंतर्गत
58. धारा 265 के अधिन अधिसूचना के प्रकाशन संबंधी नियम
59. विवाहो के रजिस्ट्रीकरण संबंधी नियम, धारा 275 के अंतर्गत
60. म.प्र. दरिद्रालय नियम 1962, धारा 288 के अंतर्गत
61. धारा 290 की उपधारा 1 के अंतर्गत सूचना प्रकाशन संबंधी नियम
62. म.प्र. नगर पालिका (अपिल समीती व प्रक्रिया) नियम 1962, धारा 307 व 310 के अंतर्गत
63. म.प्र. न.पा (अपराधो का समझोता) नियम 1963, धारा 317 के अंतर्गत
64. म.प्र. न.पा. परिषद के अन्य स्थानिय प्राधिकरण के संबधो का विनियमन नियम, 1971, धारा 334 के अंतर्गत
65. म.प्र. अधिसूचीत श्रेत्र समीति (सदस्या, अध्यक्षो का निर्वाचन व पदावधी) नियम 1962, धारा 341 के अंतर्गत ।
66. म. प्र. न. पा. (पार्षदो को पारिश्रमिक व भत्ता) नियम 1995, धारा 353 के अंतर्गत ।
67. म.प्र. मुलभूत नियम ।
68. म.प्र. सिविल सेवा पेंशन नियम 1971
69. म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण व अपील) नियम 1966
70. म.प्र. सामान्य भविष्य नियम 1955

3. उपविधि : -

नगर पंचायत शाहपुर द्वारा निम्न उपविधीया बनाई व वर्तमान मे प्रभावशील है ।

1. चाय, काफी, मिष्ठान उपविधि
2. आटा चक्की आरा मशीन उपविधि
3. प्रदर्शन कर उपविधि

4. परिपत्र : -

1. म.प्र. सामान्य प्रशासन पुस्तक परिपत्र
2. नगरीय प्रशासन व विकास विभाग व संचालनालय द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र व निर्देश ।

नगर पंचायत - शाहपुर मे प्रभावशील उपविधियो / करो / फीस / शुल्क की
दर सूची

क्र.	कर/फीस/शुल्क	दर
1	संपत्ति कर	6 प्रति. सालाना
2	समेकित कर	120 सालाना
3	निजी जल कर	360 सालाना
4	छुकान किराया	275 मासिक
5	टेलीफोन भवन किराया	1917 मासिक
6	अ) गुमटी छोटी ब) गुमटी बडी	20 मासिक 150 मासिक
7	अतिक्रमण मे रखी गुमटीयो को मासिक श्शुल्क छोटी / बडी	60 / 100 मासिक
8	अ) चाय काफी मि. उपविधी ब) चाय काफी / दुध डेरी	250 सालाना 100 मासिक
9	आटा चक्की / आरा मशिन / गादी भंडार	100 / 250 सालाना
10	मेडीकल अनुज्ञप्ति	100 सालाना
11	किराना दुकान अनुज्ञप्ति	100 सालाना
12	प्रदर्शन कर	5 प्रति श्शो
13	साप्ताहि बाजार मे बैठक श्शुल्क	5 प्रति वर्ग मीटर, एक वर्ग मी. से अधिक 2 रु वृद्धि प्रति

		दिन प्रति वर्ग मीटर
14	साप्ताहिक बाजार मे पशु पंजीयन व विक्रय शुल्क अ) भैस / भैसी ब) बैल / गाय स) घोडा / घोडी / सुअर / बकरा / बकरी द) हाथी / हथनी य) उंट / उंटनी व) गधा / गधी ह) बाजार मे पशु प्रदर्शन	50 रु प्रति 50 रु प्रति 20 रु प्रति 100 रु प्रति 50 रु प्रति 20 रु प्रति 5 रु प्रति दिन
15	कांजी हाउस की प्रभावशील दर अ) भैस / भैसी ब) बैल / गाय स) घोडा / घोडी द) बकरा / बकरी य) हाथी / हथनी व) उंट / उंटनी ह) गधा / गधी (अवरुद्ध पशुओ को खुराक डालने पर खुराक शुल्क वसूला जाता है ।)	दंड व खुराक 25 / 25 रु प्रति प्रतिदिन 25 / 25 रु प्रति प्रतिदिन 25 / 25 रु प्रति प्रतिदिन 15 / 10 रु प्रति प्रतिदिन 100 / 100 रु प्रति प्रतिदिन 50 / 50 रु प्रति प्रतिदिन 50 / 50 रु प्रति प्रतिदिन

अध्याय – छः

लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रण के अधीन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण

क्रमांक	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज का स्वरूप	समाहित जानकारी	दस्तावेज की समय सीमा
1.	2.	3.	4.	5.
1.	कार्यवृत्त पुस्तिका	रजिस्टर	बैठक कार्यवृत्त	नष्ट नही की जाती है
2.	(क) परिषद (ख) स्थायी समिति / प्रेसीडेन्ट इन कौंसिल	रजिस्टर	---"---	---"---
3.	वार्षिक प्रतिवेदन	पंजी	प्रतिवेदन	---"---
4.	स्टाक तथा भंडार पंजिया	पंजी	क्रय की गई सामग्री का विवरण	---"---
5.	अचल संपत्ति की पंजी	रजिस्टर	न. पा. की अचल संपत्ति	---"---
6.	भविष्य निधि अभिलेख	रजिस्टर	कर्मचारियों के भविष्य निधि की जानकारी	---"---
7.	जन्म मृत्यु तथा विवाहों की पंजी	रजिस्टर	जन्म मृत्यु / विवाह संबंधी जानकारी	---"---
8.	वेतन बिल	वेतन पत्रक	कर्मचारियों के वेतन वितरण संबंधी जानकारी	32 वर्ष
9.	रोकडिया रोकड़	रोकडिया रोकड़	जमा राशि की जानकारी	25 वर्ष
10.	छुट्टी तथा प्रतिनियुक्ति	रजिस्टर	कर्मचारी की छुट्टी / प्रतिनियुक्ति	---"---
11.	स्थायी अग्रिम लेख	रजिस्टर	अग्रिम की जानकारी	---"---
12.	नगर पालिका रोकड़	रजिस्टर	आय-व्यय की जानकारी	---"---
13.	प्राप्तियों की नगद संक्षेप पंजी	लेजर रजिस्टर	आय की जानकारी	---"---
14.	व्यय की संक्षेप पंजी	व्यय की लेजर	व्यय की जानकारी	---"---
15.	स्थापना पंजी	रजिस्टर	स्थायी स्थापना की जानकारी	---"---
16.	अवकाश पंजी	रजिस्टर	अवकाश संबंधी जानकारी	---"---
17.	समायोजन पंजी	रजिस्टर	समायोजन की जानकारी	12 वर्ष
18.	अमानत व अग्रिम पंजी	रजिस्टर	अग्रिमों की जानकारी	---"---
19.	प्रतिभूति पंजी	रजिस्टर	प्रतिभूतियों की जानकारी	12 वर्ष

20.	ऋण पंजी	रजिस्टर	प्राप्त ऋणों की जानकारी	---"---
21.	समस्त मांग संग्रहण पंजी व रसीद बुके	रजिस्टर	कर संग्रहण की जानकारी	6 वर्ष
22.	समस्त फीस पंजीया	रजिस्टर	लायसेंस फीस	---"---
23.	कांजी हाउस पंजी व अभिलेख	रजिस्टर व पंजी	कांजीहाउस की जानकारी	---"---
24.	लेखा परीक्षण टिप्पणी	पंजी	परीक्षण टीप व पत्र व्यवहार	---"---
25.	चालान, विवध बिल व रसीद बुके व लेखा विभाग के अन्य प्रकरण	फार्म व बुके	वसूली व जमा की जानकारी	4 वर्ष
26.	निर्माण कार्यो के बिल/प्रमाण पत्र माप पुस्तिका	फार्म, बिल बुक	निर्माण कार्यो संबंधी जानकारी	---"---
27.	मस्टर रोल	प्रपत्र	मजदूरी भुगतान	4 वर्ष
28.	बजट अनुमान	प्रपत्र	बजट	4 वर्ष
29.	आवेदन पत्र/पत्राचार	नस्ती	संबंधित प्रकरण की जानकारी	नियमानुसार निर्धारित अवधि

म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 में नगर पालिका परिषद के नीति निर्धारण एवं उसके परिपालन/क्रियान्वयन में लोक प्रतिनिधित्व देने के संबंध में व्यवस्था की निम्न विष्टिया है, जिसके अन्तर्गत नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों (पार्षदों) तथा सामान्य नागरिकों का परामर्श प्राप्त होता है ।

1. नगर पालिका परिषद द्वारा निर्धारित की जाने वाली नीति व कार्य व उनका क्रियान्वयन पार्षदों के बहुमत से लिये गये निर्णय से किया जाता है ।
2. नगर पालिका अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत मेयर इन काउंसिल के गठन का प्रावधान है ।

(क) प्रेसीडेन्ट इन काउंसिल का गठन –

1. प्रत्येक परिषद के लिये एक प्रेसीडेन्ट इन काउंसिल होगी जो धारा 43 के अधीन उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख से सात दिनों के भीतर निर्वाचित पार्षदों में से अध्यक्ष द्वारा गठित की जायेगी ।
2. प्रेसीडेन्ट – इन – काउंसिल नगर पालिका परिषद की दशा में अध्यक्ष तथा सात सदस्यों और नगर पंचायत की दशा में अध्यक्ष तथा पाँच सदस्यों से मिल कर बनेगी ।
3. प्रेसीडेन्ट – इन – काउंसिल के सदस्य अध्यक्ष के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे ।
4. प्रत्येक परिषद में ऐसे विभाग होंगे जो कि, किये जाएँ और प्रेसीडेन्ट इन काउंसिल के सदस्य ऐसे विभाग के जैसा कि, अध्यक्ष उचित समझे, प्रभारी बनाये जायेंगे ।
5. अध्यक्ष, प्रेसीडेन्ट इन काउंसिल का पदेन सभापति होगा और यदि उपस्थित रहा तो प्रेसीडेन्ट इन काउंसिल के सम्मेलनों की अध्यक्षता करेगा । अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, सम्मेलन में उपस्थित सदस्य अपने में से एक सदस्य को सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिये चुनेंगे ।
6. इस अधिनियम के अन्तर्विष्ट किस बात के होते हुए भी प्रेसीडेन्ट – इन – काउंसिल, अध्यक्ष और सदस्य ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे जैसे कि, विहित किया जाए ।

(ख) कृत्य –

1. 50 हजार या उससे अधिक जनसंख्या की दशा में 15000 से अधिक किन्तु 2 लाख तक के व्यय की स्वीकृति । 50 हजार से कम जनसंख्या की दशा में 10000 से अधिक किन्तु 1 लाख तक के व्यय की स्वीकृति ।
2. अधिनियम की धारा 93 (1) 94 (1), (2), 121 (1), 126, 160, 168, 168 (7), 228, 235, 237, 238, 249, 253 (1)(3), 255 (1), 261, 262 (1) (3), 263, 265, 267, 272, 273, 274, एवं 281 द्वारा परिषद में वेष्टित शक्तियों का प्रयोग ।

3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी के क्षेत्राधिकार उपर के प्रकरण संबंधित विभाग के प्रभारी सदस्य को निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाए ।
4. अधिनियम की धारा 57 (1), 61, 62, 71 (1), 138, 142 (1) 176 तथा 189 ए के अन्तर्गत परिषद में वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करने ।

4. सदस्य गण – प्रेसिडेन्ट इन काउंसिल

अ.क्र.	नाम	वार्ड क्रमांक
1.	श्री युवराज महाजन	सभापति
2.	श्री भागवत तुकाराम चौधरी	सदस्य
3.	श्री जगन्नाथ कडू महाजन	सदस्य
4.	श्रीमती सुगंधाबाई त्रंबक महाजन	सदस्य
5.	श्री सै. भूरा सै. हेदर	सदस्य
6.	श्रीमती गीताबाई बाबूराव कोली	सदस्य

5. कर्त्तव्य एवं दायित्व – उपरोक्त पेरा 3 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यों व कर्त्तव्यों का सम्पादन ।
6. प्रेसीडेन्ट – इन – काउंसिल की बैठक की कार्यवाही कार्यवृत्त पुस्तिका में लेखबद्ध की जावेगी व नागरिकों को उसके निरीक्षण का नियमानुसार अधिकारी है ।
3. अधिनियम की धारा 71 के अन्तर्गत निर्वाचित पार्षदों की सलाहकार समितियों के माध्यम से विभाग से सम्बंधित प्रकरणों व नीतियों पर सलाह प्राप्त की जाती है ।
4. अधिनियम की धारा 72 के अन्तर्गत परिषद आवश्यकतानुसार अधिनियम के प्रयोजनों से सम्बंधित किसी भी प्रकरण में जाँच व प्रतिवेदन हेतु पार्षदों की परामर्शदात्री समिति गठित करने का प्रावधान है ।
5. अधिनियम की धारा 72 के अंतर्गत नागरिकों की वार्ड समिति का गठन कर उनका परामर्श नीति निर्धारण व कार्य सम्पादन में सुनिश्चित किये जाने की भी व्यवस्था है ।
6. अधिनियम की धारा 122 क के अन्तर्गत परिषद लेखाओं का सामाजिक अंकेक्षण करवाने की व्यवस्था करने के लिये अधिकृत है ।
7. अधिनियम की धारा 325 के अन्तर्गत शासन के निर्देशों के अनुसार किसी भी विषय में आम नागरिकों की राय प्राप्त करना परिषद के लिये बन्धनकारी है ।

अध्याय – आठ

अधिनियम के अंतर्गत निम्न समितियों के गठन का प्रावधान है –

1. सलाहकार समिति (धारा 71)

अ.क्र.	नाम समिति	सदस्यों के नाम	योग्यता
1.	2.	3.	4.
1	आवास एवं पर्यावरण लोक निर्माण जल कार्य समिति	श्री सै. भूरा सै. हेदर	6 वी
		श्रीमती बेबीबाई रविन्द्र चांदोडे	5 वी
		श्री रमेश राजाराम चोपडे	8 वी
2	खाद नागरिक आपूर्ति तथा चिकित्सा समिति	श्रीमती सुगंधा बाई त्रंबक महाजन	5 वी
		श्रीमती रुकैय्याबी शे. मेहमूद	7 वी
		श्री अशोक रामचंद्र बारी	12 वी
		श्री विजय वामनराव गावंडे	एम.ए.
3	सामान्य प्रसासन समिति	श्री जगन्नाथ कडू महाजन	बी.ए., बी. एड.
		श्रीमती बेबीबाई रविन्द्र चांदोडे	5 वी
		श्री रमेश राजाराम चोपडे	8 वी
		श्री गजानन हरीभाउ निभोरकर	11 वी
4	राजस्व एवं बाजार समिति	श्रीमती गीताबाई बाबूराव कोली	साक्षर
		श्री बाजीराव पौलाद	साक्षर
		श्रीमती रुकैय्याबी शे. मेहमूद	7 वी
		श्री शे. साजिद शे. सफी	9 वी
5	शिक्षा महिला एवं बाल कल्याण समिति	श्री भागवत चौधरी	11 वी
		श्री अशोक बारी	12 वी
		श्री बाजीराव कोलार	साक्षर
		श्री विजय गावंडे	एम. ए.

1. आवास तथा पर्यावरण और लोक निर्माण समिति
2. जलकार्य समिति
3. स्वास्थ्य तथा अस्पताल समिति
4. राजस्व तथा बाजार समिति

5. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति पुर्नवास एवं नियोजन समिति
6. शिक्षा महिला एवं बाल कल्याण समिति
7. विधि सामान्य प्रशासन तथा सामान्य प्रयोजन समिति ।

नोट :-

नगर पंचायत की दशा में अ. क्र. 1 व 2 की समिति एक होगी ।

गठन – प्रेसीडेन्ट इन कौंसिल के विभागीय पदाधिकारी एवं अन्य 5/3 निर्वाचित पार्षदों को सम्मिलित करते हुए समिति अध्यक्ष द्वारा सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा ।

कार्य –

1. संबंधित विभाग के कार्यों बाबत सुझाव देना ।
2. म.प्र. नगर पालिका (सलाहकार समितियों) के कर्तव्य तथा उनके कामकाज के संचालन हेतु प्रक्रिया नियम 1997 में दी गई अनुसूचि में निर्दिष्ट कर्तव्य एवं कर्तव्य नियम की प्रति संलग्न की जावे ।
3. कर्तव्यों में समाविष्ट कार्यों के लिये निविदा आमंत्रित करने की स्वीकृति देना व,
4. ऐसे प्रकरण मेयर इन-कौंसिल या परिषद में प्रस्तुत करने की अनुज्ञा देना ।

प्राधिकारी के अधिकारियों और कर्मचारियों नियोजितों की निर्देशिका

अ.क्र.	नाम पदाधिकारी / कर्मचारी	पद	वार्ड / पता	फोन नं.
1.	2.	3.	4.	5.
1	श्री गणेश दुबे	सी.एम.ओ. व मु. न.पं. अधि.	12 – शाहपुर	268152
2	श्री शेख इसाक	मु.लि. लेखा	5– शाहपुर	
3	श्री पूंडलिक भुति	उ.श्रे.लि.	8– शाहपुर	
4	श्री राजेश भारती	भृत्य	10– शाहपुर	
5	श्री वसंत पाटील	आर. एस. आई.	12– शाहपुर	
6	श्री बाजीराव महाजन	स.रा.नि.	9– शाहपुर	
7	श्री सुधाकर महाजन	स. रा. नि.	7– शाहपुर	
8	श्री जगन्नाथ महाजन	स. रा. नि.	5– शाहपुर	
9	श्री संजय जैन	स. रा. नि.	4– शाहपुर	
10	श्री कैलाश कर्मा	स. रा. नि.	4– शाहपुर	
11	श्री विलास पाटील	स. रा. नि.	4– शाहपुर	
12	श्री बालू जंगलकर	स. रा. नि.	10– शाहपुर	
13	श्री फकिरा जवरे	स. रा. नि.	2– शाहपुर	
14	श्री लक्ष्मण नारायण	भूचखाह	5– शाहपुर	
15	श्री सुधाकर महाजन	प. अ.	11– शाहपुर	
16	श्री प्रकाश महाजन	प. अ.	5– शाहपुर	
17	श्री सुरेश काटोककर	प. कुली	12– शाहपुर	
18	श्री रामकृष्ण दशरथ	प. कुली	9– शाहपुर	
19	श्री नारायण पाटील	प. कुली	1– शाहपुर	
20	श्री संतोष पाटील	लाईनमेन	12– शाहपुर	
21	श्री लालाभाई चरण	प्लम्बर	12– शाहपुर	
22	श्री सुभाष ससाने	प्लम्बर	2– शाहपुर	
23	श्री अनिल वाघे	ड्रायव्हर	10. शाहपुर	
24	श्री कडु महाजन	वायरमेन	6– शाहपुर	
25	श्री सतिष भारद्वाज	स. दरोगा	12– शाहपुर	
26	श्री लक्ष्मण माली	ड्रायव्हर	8– शाहपुर	
27	श्रीमती शांती बंसी	स. काम.	1– शाहपुर	
28	श्रीमती ललिता किशोर	स. काम.	14– शाहपुर	
29	श्रीमती कमला बंसी	स. काम.	1– शाहपुर	
30	श्रीमती गिता चरण	स. काम.	14– शाहपुर	
31	श्री अशोक जीवन	स. काम.	1– शाहपुर	
32	श्री विनोद छगन	स. काम.	2– शाहपुर	
33	श्री मंगल भप्पू	स. काम.	1– शाहपुर	
34	श्री रमेश बंसी	स. काम.	1– शाहपुर	
35	श्री विष्णु किसन	स. काम.	2– शाहपुर	
36	श्री मधूकर बाबु	स. काम.	2– शाहपुर	
37	श्री अरुण मुलचंद	स. काम.	2– शाहपुर	
38	श्रीमती लक्ष्मी कन्हैया	स. काम.	14– शाहपुर	
39	श्रीमती रमा रमेश	स. काम.	1– शाहपुर	
40	श्री चरण बाबु	स. काम.	14– शाहपुर	
41	श्री अरुण किशव	स. काम.	2– शाहपुर	

42	श्री रविन्द्र तुलसीराम	स. काम.	2- शाहपुर	
43	श्री साहेबराव एकनाथ	स. काम.	2- शाहपुर	
44	श्री कैलाश बंसी	स. काम.	1'- शाहपुर	
45	श्री नानू विठ्ठल	स. काम.	2- शाहपुर	
46	श्री वसन्त सिताराम	स. काम.	2- शाहपुर	
47	श्री मानिक बाबुराव	स. काम.	2- शाहपुर	
48	श्री प्रताप दगडू	स. काम.	2- शाहपुर	
49	श्री राकेश मांगीलाल	स. काम.	7- शाहपुर	

प्राधिकारी के अधिकारियों और कर्मचारियों नियोजितों की निर्देशिका

पत्रक मासिक पारिश्रामिक जो प्रत्येक अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किया गया है, तथा उसके विनियमों में उप – बंधित क्षतिपूर्ति/मुआवजे प्रतिकर की पद्धति ।

अ. क्र.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद	मासिक उपलब्धि वेतन + महंगाई	विनियमों के अंतर्गत क्षतिपूर्ति			वेतनमान
				गृह भाड़ा	मेडी कल भत्ता	योग	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	श्री शेख ईसाक	मु.लि. लेखा.	4800+2640	120	---	7560	4000-100-6000
2	श्री पूंडलिक भुते	उ.श्रे.लि.	4200+2310	102	---	6612	4000-100-600
3	श्री राजेश भारती	भृत्य	3475+1911	85+20	---	5491	2610-60-3150- 65=3540
4	श्री गणेश दुबे	सी.एम.ओ.	5000+2750	125+25	---	7900	4000-100-6000
5	श्री वसंत पाटील	आर.एस. आई.	4620+2541	114+25	---	7300	3500-80-4700- 100-5200
6	श्री बाजीराव महाजन	स.रा.उ.नि.	4300+2365	105+25	---	6795	3500-80-4700- 100-5200
7	श्री सुधाकर महाजन	स.रा.उ.नि.	4220+2321	103+25	---	6669	3500-80-4700- 100-5200
8	श्री जगन्नाथ महाजन	स.रा.उ.नि.	3980+2189	96+25	---	6290	3500-80-4700- 100-5200
9	श्री संजय जैन	स.रा.उ.नि.	4460+2453	109+25	---	7047	3500-80-4700- 100-5200
10	श्री कैलाश कर्मा	स.रा.उ.नि.	4460+2453	109+25	---	7047	3500-80-4700- 100-5200
11	श्री विलास पाटील	स.रा.उ.नि.	3950+2175	95+25	---	6242	3050-75-3950- 80-4590
12	श्री बालू जंजालकर	स.रा.नि.	4140+2277	103+25	---	6545	3050-75-3950- 80-4590
13	श्री फकिरा जवरे	स.रा.नि.	4140+2277	103	---	6545	3050-75-3950-

							80-4590
14	श्री सुधाकर महाजन	प. अटे.	4300+2365	105+20	---	6790	3500-80-4700- 100-5200
15	श्री प्रकाश महाजन	प. अटे.	410+2260	100+20	---	6490	3050-75-3950- 80-4590
16	श्री सुरेश काटोडकर	प. कूली	3540-1947	86-20	---	5593	2610-60-3150- 65-3540
17	श्री रामकृष्ण दशरथ	प. कूली	3475+1911	85+20	---	5491	2610-60-3150- 65-3540
18	श्री नारायण पाटील	प. कूली	3410+1875	85+20	---	5390	2610-60-3150- 65-3540
19	श्री संतोष पाटील	लाईनमेन	3080+1694	75+20	---	4869	2550-55-2660- 60-3200
20	श्री लाला भाई चारण	प्लम्बर	3140+1727	75	---	4942	2550-55-2660- 60-3200
21	श्री अनिल वाघे	ड्रायव्हर	3350+1842	80	---	5272	3050-75-3950- 80-4590
22	श्री सुभाष ससाने	प्लम्बर	3020+1661	74+20	---	4775	2550-55-2660- 60-3200
23	श्री लक्ष्मण नारायण	चरवाह	2660+1463	66	---	4189	2550-55-2660- 60-3200
24	श्री कडू महाजन	वायरमेन	3590+1974	88+20	---	5492	2750-70-3800- 75-4400
25	श्री सतिष भारव्दाज	स. दरोगा	4220+2321	103+25	---	6669	3500-80-4700- 100-5200
26	श्री लक्ष्मण माली	ड्रायव्हर	4220+2321	103+10	---	6654	3500-80-4700- 100-5200
27	श्रीमती शान्ती बंसी	स.काम.	3150+1732	10+स. भत्ता	---	4892	2610-60-3150- 65-3540
28	श्रीमती ललीता किशोर	स.काम.	3150+1732	10+स. भत्ता	---	4892	2610-60-3150- 65-3540
29	श्रीमती कमला	स.काम.	2960+1628	10+स.	---	4598	2550-55-2660-

	बंसी			भत्ता			60-3200
30	श्रीमती गीता चारण	स.काम.	2960+1628	10+स. भत्ता	---	4598	2550-55-2660- 60-3200
31	श्री अशोक जीवन	स.काम.	2960+1628	10+स. भत्ता	---	4598	2550-55-2660- 60-3200
32	श्री विनोद छगन	स.काम.	2900+1595	10+स. भत्ता	---	4505	2550-55-2660- 60-3200
33	श्री मंगल भप्पू	स.काम.	3215+1768	10+स. भत्ता	---	4993	2610+60+3150+ 65+3540
34	श्री रमेश बंशी	स.काम.	3215+1768	10+स. भत्ता	---	4993	2610+60+3150+ 65+3540
35	श्री विष्णू किसन	स.काम.	3215+1768	10+स. भत्ता	---	4993	2610+60+3150+ 65+3540
36	श्री मधूकर बाबू	स.काम.	3215+1768	10+स. भत्ता	---	4993	2610+60+3150+ 65+3540
37	श्री अरुण मूलचंद	स.काम.	3215+1768	10+स. भत्ता	---	4993	2610+60+3150+ 65+3540
38	श्रीमती लक्ष्मी कन्हैया	स.काम.	3215+1768	10+स. भत्ता	---	4993	2610+60+3150+ 65+3540
39	श्रीमती रमा रमेश	स.काम.	3215+1768	10+स. भत्ता	---	4993	2610+60+3150+ 65+3540
40	श्री चरण बाबू	स.काम.	2830+1556	10+स. भत्ता	---	4396	2550-55-2660- 60-3200
41	श्री अरुण केशव	स.काम.	2830+1556	10+स. भत्ता	---	4396	2550-55-2660- 60-3200
42	श्री रविन्द्र तुलसीराम	स.काम.	2830+1556	10+स. भत्ता	---	4396	2550-55-2660- 60-3200
43	श्री साहेबराव ऐकनाथ	स.काम.	2830+1556	10+स. भत्ता	---	4396	2550-55-2660- 60-3200
44	श्री कैलाश बंसी	स.काम.	2830+1556	10+स. भत्ता	---	4396	2550-55-2660- 60-3200
45	श्री नानू विठ्ठल	स.काम.	2550+1402	10+स.	---	3962	2550-55-2660-

				भत्ता			60-3200
46	श्री वसन्त सिताराम	स.काम.	2550+1402	10+स. भत्ता	---	3962	2550-55-2660- 60-3200
47	श्री मानिक बाबूराव	स.काम.	2550+1402	10+स. भत्ता	---	3962	2550-55-2660- 60-3200
48	श्री प्रताप दगडू	स.काम.	2550+1402	10+स. भत्ता	---	3962	2550-55-2660- 60-3200
49	श्री राकेश मांगीलाल	स.काम.	2550+1402	10+स. भत्ता	---	3962	2550-55-2660- 60-3200

प्रत्येक एजेन्सी (विभाग) के लिये आवंटित बजट (आय एवं व्यय पत्रक)

(क)

आय / व्यय वर्ष 2004-2005

अ.क्र.	शीर्ष	उपशीर्ष	वर्ष 2004-05 वास्तविक आय	2005-06 प्रस्तावित आय
1.	2.	3.	4.	5.
1	नगर पालिका दर और कर	खुल्ले बैल लायसेंस गाडी बैल लायसेंस चक्र कर चुंगी क्षतिपूर्ति सम्पत्तिकर बकाया सम्पत्तिकर चालु अग्रभाग बकाया अग्रभाग चालु समेकित कर बकाया समेकित कर चालु यात्रीकर क्षतिपूर्ति प्रदर्शन कर बाजार फीस वारंट फीस वृत्तिकर बकाया वृत्तिकर चालु नगरी विकास उपकर बकाया नगरी विकास उपकर चालु सार्वजनिक जलकर बकाया सार्वजनिक जलकर चालु	0000 0000 0000 2784100 63309 151068 0000 0000 62096 98975 528900 0000 288000 0000 217 275 2074 1021 2813 2257	0000 0000 0000 3500000 146339 261361 0000 0000 318000 250000 700000 2660 350000 0000 450 650 0000 1021 0000 0000
2	विशेष अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्तीया	कांजी हाउस विविध आय	2479 74936	15000 150000
3	सम्पत्ति व करारोपण को छोडकर अन्य स्त्रोतो से प्राप्त आय	दुकाने निर्माण से आय भवन भूमि किराया बकाया भवन भूमि किराया चालू गुमटी किराया बकाया गुमटी किराया चालू शिक्षा उपकर बकाया शिक्षा उपकर चालू जल वाहित श्शौचालय पशुवधग्रह से प्राप्त आय मछली लायसेंस आटा चक्की लायसेंस चूना ईट भट्टी लायसेंस खाद्य पदार्थ लायसेंस फल लायसेंस ठेला लायसेंस आवेदन शुल्क अस्थायी भूमि किराया	14120 75 29604 10680 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1415 0000 6725 0000 0000 0000 41690	— 750 40000 12000 5000 — — — 7200 — 24000 — 10000 — — — 60000

		नामांतरण	38850	40000
		लीज किराया बकाया	0000	---
		लीज किराया चालू	0000	---
		क्षतिपूर्ति समझौता शुल्क	56871	60000
		स्टाम्प ड्यूटी	251200	275000
		ब्याज	4000	5000
4	अनुदान व अंशदान	सडक मरम्मत अनुदान	0000	500000
		विशिष्ट प्रयोजनार्थ अनुदान	0000	400000
		राज्य वित्त आयोग	0000	300000
		गंदी बस्ती पर्यावरण सुधार	40000	50000
		पेयजल	240000	200000
		मूलभूत सुविधा	1889000	300000
		सांसद निधि से	95000	200000
		कनिष्ठ प्राथमिक विद्यालय	0000	---
5	जलकर से	जलकर बकाया	119399	275000
		जलकर चालू	314894	465120
		सहायक अनुदान	0000	---
		पाईप क्षतिपूर्ति	0000	5000
		अमानत	25000	5000
		फोरुल संयोजन	0000	---
		पानी टेंकर	0000	13000
		री- कलेक्शन शुल्क	0000	---
6	विविध	मध्यान्ह भोजन	150000	310000
		निर्वाचन	0000	---
		चरसा ठेका	0000	---
		निक्षेप	90200	20000

प्रत्येक एजेन्सी (विभाग) के लिये आवेटित बजट (आय व व्यय पत्रक) 2004-05 2005-06

	(क) सामान्य प्रशासन और संग्रह प्रभार	कार्यालय स्थापना और पदाधिकारियों का वेतन	1039819	1400000
		यात्रा भत्ता	42899	45000
		स्टेशनरी प्रिंटिंग	35042	35000
		अध्यक्ष/उपाध्यक्ष यात्रा भत्ता	---	---
		उध्यक्ष/उपाध्यक्ष पार्षद वेतन भत्ता	149250	150000
		राजस्व स्थापना पदाधिकारियों का वेतन	---	---
		यात्रा भत्ता	---	---
		मेडिकल भत्ता	---	---
	(ख) सार्वजनिक सुरक्षा	स्थापना स्थाई और अस्थाई	61380	65000
		डीजल आईल क्य	---	---
		आकस्मिकता	---	---
		प्रकाश सामग्री क्य	440355	40000
		स्ट्रीट लाईट, जल प्रदाय	1082292	1200000
		विद्युत किराया विभिन्न त्यौहारों	---	---
		विविध	---	---
	(ग) जनस्वास्थ्य एवं सुविधाए	स्थापना	463701	503701
		आकस्मिकता	---	---
		कुओं जलाशयो मरम्मत संधारण	---	---
		पेयजल परिवहन	---	---
		मरम्मत व संधारण	146416	160416
		नाली	---	---

		कीटनाशक सामग्री क्रय	---	---
		सार्वजनिक संडासों की मरम्मत	---	---
		जलवाहित शौचालय	---	---
		सुलभ काम्प्लेक्स निर्माण	---	---
		सडक सफाई स्थापना	1300423	1450000
		अस्थाई स्थापना	266000	300000
		कचराघरों का निर्माण और मरम्मत	---	---
		ट्रेक्टर डीजल	113933	115000
		साबुन क्रय	---	---
		क्चरा गाडी क्रय	---	---
		पशुवध ग्रह निर्माण	---	---
		कांजी हाउस निर्माण व मरम्मत	---	---
		घास क्रय / स्थापना	104895	110000
	(घ) लोक निर्माण	स्थापना	122492	170000
		यात्रा भत्ता	---	---
		दुकान निर्माण	---	---
		भवन निर्माण	---	---
		वि. प्रयोजनार्थ	---	---
		दसवा वित्त आयोग	---	---
		सडक मरम्मत	534400	500000
		कनि. प्रा. विद्यालय	---	---
		मरम्मत / नविनीकरण / डामरीकरण	1000000	500000
		सांसद निधि	200000	400000
		राज्य वित्त आयोग	365700	350000
		ग्यारवा वित्त आयोग	---	350000
		मुलभूत सूविधा	1889000	600000
		पेयजल	240800	200000
		गंदी बस्ती पर्यावरण सुधार	48000	100000
	(ड) सार्वजनिक शिक्षा	भवनो का निर्माण व मरम्मत	---	---
		हायर से. स्कुल मरम्मत	---	---
		मध्यान्ह भोजन	350000	350000
6	(छ) विविध	निर्वाचन	20000	---
		स्वागत सत्कार	20000	5000
		राष्ट्रीय पर्व	10000	5000
		कानूनी प्रभार	9000	10000
		भविष्य निधि मे अंशदान, पेंशन, उपादान	300000	300000
		टेलीफोन / ट्रंककाल	29443	30000
		लेखा परीक्षा	---	---
		अन्य	58377	100000
7	(ज) असाधारण व्यय एवं ऋण	चेक बुक कमिशन	---	---
		निक्षेप	90580	20000

(ख)

स्वीकृत कार्य एवं योजनाएँ 2004-2005

क्र	योजना या कार्य का नाम	कुल प्राक्कलन	कुल स्वीकृत राशि	व्यय
1	2	3	4	5
1	सीमेंट रोड	20 लाख	20 लाख	2122328
2	नाली निर्माण	1 लाख	1 लाख	121406
3	पावर सेविंग लाईट	4 लाख	4 लाख	411300
4	तार फेन्सिंग	20 हजार	20 हजार	22036
5	शेड निर्माण	1 लाख 40 हजार	1 लाख 40 हजार	140564
6	डामरिकरण	12 लाख	12 लाख	1221022

स्वीकृत कार्य एवं योजनाएँ 2005-2006

अ.क्र.	योजना या कार्य का नाम	कुल प्राक्कलन	कुल स्वीकृत राशि	व्यय
1	2	3	4	5
1	वहन गैरेज	19000	190000	219649
2	गोडाउन / परिषद कक्ष	468100	46810	213845
3	चबुतरा निर्माण (पर्या. सुधार अन्तर्गत)	40000	40000	39000
4	सी. सी. रोड	300000	300000	364422
5	स्वागत द्वार 2 चौराहो का सौन्दर्यकरण	300000	300000	---
6	शोचालय निर्माण	257000	257000	---

अनुदान के परियोजना (प्रोग्रामों) के कियान्वयन की रीति और आवंटित राशि व्यय एवं हितग्राहियों की संख्या

अ. क्र.	परियोजना का नाम	हितग्राहियों के चयन का आधार	प्रशासनिक विभाग	वर्ष 2004-05	प्राप्त आवंटन	व्यय	हितग्राहियों की संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	स्वर्ण जयंती रोजगार योजना अंतर्गत ऋण	1. गरीबी रेखा सर्वे सूची 2. बेराजगार	जि. श. वि. अभि. खण्डवा	लक्ष्य 10 स्वीकृत प्रकरण संख्या 4	---	---	---
2	जिला शहरी बेराजगार युवको को रोजगार योजना	गरीबी रेखा को निचे व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना	जि. श. वि. अभि. खण्डवा		2.47	2.62	1940
3	जिला शहरी बेराजगार युवको को रोजगार योजना	गरीबी रेखा को निचे व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना	जि. श. वि. अभि. खण्डवा	2005-06	2.57	---	---
4	स्वर्ण जयंती रोजगार योजना अंतर्गत ऋण	3. गरीबी रेखा सर्वे सूची 4. बेराजगार	जि. श. वि. अभि. खण्डवा	2005-06	60000	---	8

अध्याय – तेरह

प्राधिकारी द्वारा दी गई रियायतों सुविधाओं अनुदानों या मंजूर किए गए प्राधिकारों के प्राप्त कर्त्ताओं की सूची

अ.क्र.	सहायता का स्वरूप	प्राप्तकर्त्ता का नाम	पता	वर्ष	प्रमाण	सहायता राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	राष्ट्रीय परिवार सहायता	1. सुमनबाई प्रकाश	1 शाहपुर	2005-06	परिषद प्रस्ताव अनुसार	10000
	राष्ट्रीय परिवार सहायता	2. वंदनाबाई सदाशिव	6 शाहपुर	2005-06	परिषद प्रस्ताव अनुसार	10000
	राष्ट्रीय परिवार सहायता	3. राहुबाई रामचंद्र	12 शाहपुर	2005-06	परिषद प्रस्ताव अनुसार	10000
	राष्ट्रीय परिवार सहायता	4. जयवंताबाई बेवा कडू	10 शाहपुर	2005-06	परिषद प्रस्ताव अनुसार	10000
	राष्ट्रीय परिवार सहायता	5. कस्तुरा बाई एकनाथ	1 शाहपुर	2005-06	परिषद प्रस्ताव अनुसार	10000
	राष्ट्रीय परिवार सहायता	6. विमलबाई बेवा तुकाराम	12 शाहपुर	2005-06	परिषद प्रस्ताव अनुसार	10000
	राष्ट्रीय परिवार सहायता	7. अपशानबी बे. शे. मुसा	12 शाहपुर	2005-06	परिषद प्रस्ताव अनुसार	10000
					परिषद प्रस्ताव अनुसार	
2	सा. सु. पेंशन	1 झिपराबाई कडू	1 शाहपुर	1995	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		2 बनाबाई नत्थु	1 शाहपुर	1995	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		3. पमाबाई खंडू	1 शाहपुर	1995	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		4. शेवंता रुपा	1 शाहपुर	1995	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		5. राउ बाई फकिरा	1 शाहपुर	1995	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		6 नबाबाई पावना	2 शाहपुर	1996	परिषद	150

					प्रस्ताव अनुसार	
		7. मनकाबाई तोताराम	2 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		8. बनाबाई कालू	2 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		9. मथुराबाई लक्ष्मण	1 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		10. पार्वताबाई भिका	4 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		11. झामाबाई हरि	4 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		12. येनाबाई तुकाराम	4 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		13. विनोद बाबुराव	4 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		14. सुमनबाई सिताराम	4 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		15. राधाबाई बाबुराव	4 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		16. रेखाबाई विमलचंद	4 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		17. मगनबाई नारायण	4 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		18. मीराबाई गणपत	5 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		19. गोदावरी रामदास	5 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		20. गुंगी परम सूतार	5 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		21. काशी बाई भादू	5 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		22. शांताबाई देवराम	5 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150

		23. मंदाबाई किशन	5 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		24. तुकाराम बालाराम माली	5 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		25. नबाबाई बलीराम	5 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		26. शबाना युशुफ	5 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		27. येढाबाई संपत	5 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		28. धनाबाई उखडू	6 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		29. धुरपताबाई जिवराम	6 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		30. अवंताबाई किसन	6 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		31. अंजनाबाई सिताराम	6 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		32. मथुराबाई देवराम	6 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		33. शांताबाई तुकाराम	6 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		34. तुलसाबाई पुंडलीक	6 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		35. सरस्वतीबाई तुलसीराम	6 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		36. पर्वताबाई पांडूरंग	6 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		37. जयवंताबाई गुलबा	7 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		38. शांताबाई गुलबा	6 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		39. वसंता सखाराम	7 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव	150

					अनुसार	
		40. ग्यारसीबाई बंडू	8 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		41. गीताबाई माडू	7 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		42. सलीम मूसा	7 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		43. राधाबाई जयसिंग	7 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		44. पार्वताबाई राजाराम	7 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		45. अमीन मूसा	7 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		46. सरलाबाई भागवत	5 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		47. जाईबाई पांडूरंग	8 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		48. सोनजी रामचंद बारी	8 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		49. गीताबाई उखर्डू	8 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		50. लक्ष्मण श्यामराव	8 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		51. शे. रसूल शे. यासिन	8 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		52. यशोदाबाई रामदास	8 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		53. कस्तुराबाई किसन	9 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		54. रमाबाई रामदास	9 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		55. शांताबाई बलीराम	9 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		56. गीताबाई श्रावण	9 शाहपुर	1997	परिषद	150

					प्रस्ताव अनुसार	
		57. कस्तुराबाई शंकर	9 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		58. इंदूबाई दादाराव	9 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		59. अनुसयाबाई देवराम	9 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		60. गीताबाई सदाशिव	6 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		61. यशोदाबाई वामनराव	10 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		62. विजय पंडित	10 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		63. सरला बाई रघुनाथ	10 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		64. नर्मदाबाई दिगंबर	10 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		65. येनाबाई तुकाराम	10 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		66. कलाबाई तुकाराम न्हावी	10 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		67. राजेश सदाशिव	10 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		68. विमलबाई सोपान	10 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		69. यशोदाबाई कला पांडे	10 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		70. रामचद राजाराम	10 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		71. बाबुराव भिका	10 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		72. मंगलाबाई प्रभाकर	10 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150

		73. काशिबाई पुंडलिक	11 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		74. श्यामसिंह रामसिंह	11 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		75. सुरेश शिवराम तेली	12 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		76. मराबाई भादू	12 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		77. वामनराव सिताराम	12 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		78. शरिफशाह बाबू	12 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		79. मेहमूदाबी हूसेन	12 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		80. बीबाबी इसा	12 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		81. हसीनाबी गुलशेर	12 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		82. अहमद कालू	13 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		83. रहेमातुल्ला अब्दुल शाह	13 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		84. सुभद्राबाई जीवराम	13 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		85. सराबाई काशीराम	13 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		86. भागाबाई सिताराम	15 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		87. लिलाधर श्रीधर	15 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		88. रमेश राजाराम	15 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		89. कमला बाई धोंडू	15 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव	150

					अनुसार	
		90. छबीबाई सूपडू	15 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		91. शेवंताबाई पांडूरंग	15 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		92. श्शे. करीम श्शे. नीजाम	15 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		93. व्दारकाबाई बाबूराव	15 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		94. विमलबाई रमेश	15 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		95. पूना तुलसीराम	15 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		96. सुमनबाई छगन	1 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		97. इदूबाई उत्तम	1 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		98. गुंफाबाई बाबूलाल	1 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		99. सूमनबाई प्रकाश	1 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		100. अनिताबाई गोपाल	1 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		101. कोकिलाबाई अरुण	2 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		102. अल्काबाई अंबादास	2 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		103. रंजनाबाई रमेश	2 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		104. लिलाबाई रामेश्वर	3 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		105. सराबाई बलिराम	3 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		106. पार्वताबाई	4 शाहपुर	2005	परिषद	150

		भाउलाल			प्रस्ताव अनुसार	
		107. जमुनाबाई बिसन	4 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		108. चिंदाबाइ विश्वनाथ	4 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		109. अनिताबाई सुरेश	4 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		110. रेखाबाई अनिल	4 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		111. मंगलाबाई अशोक	5 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		112. बीलकीसबी बी रहमत	5 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		113. रजीयाबी महमूद	5 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		114. मंगलाबाई तुलसीराम	5 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		115. छायाबाई सोनू	6 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		116. आशाबाई रघुनाथ	6 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		117. कस्तुराबाई किशोर	6 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		118. कांताबाई मधुकर	7 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		119. सुशीलाबाई रघुनाथ	7 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		120. लक्ष्मीबाई प्रल्हाद	7 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		121. शोभाबाई रमेश	7 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		122. मिराबाई सुरेशस	7 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150

		123. मिराबाई रामचंद	7 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		124. सुमित्राबाई प्रकाश	7 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		125. शोभाबाई पुंडलिक	11 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		126. बेबीबाई अशोक	12 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		127. मिराबाई मिठाराम	12 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		128. वंदनाबाई सुरेश	12 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		129. हमीदागी मेहमूद	13 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		130. निर्मलाबाई कैलाश	14 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		131. कमलाबाई गोकुल	14 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		132. कोकिलाबाई सोनू	15 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		133. कोकिलाबाई संजय	15 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		134. कमलाबाई वामन	15 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		135. सुरेखाबाई बाबुराव	15 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		136. दगडाबाई रामदास	15 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		137. सद्दू महिपत	1 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		138. सूधाकर सिताराम	1 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		139. काशीराम शंकर	1 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150

					अनुसार	
		140. दादाराव माणिकराव	2 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		141. सुभाश बाबुराव	4 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		142. यमुनाबाई मधुकर	4 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		143. गयाबाई पांडूरंग	10 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		144. जयवंताबाई कडू	10 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		145. राउबाई रामचंद	12 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		146. जिलानीबी शशे. वजीर	13 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		147. सलमाबी शशे. हेदर	13 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		148. संतोश श्यामराव	14 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		149. बेगमबी बाबुसाहब	14 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		150. वसंता नारायण	15 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		151. अनुयाबाई विठ्ठल	15 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150

	वृध्दावस्था				परिषद प्रस्ताव अनुसार	
		1. मुक्ताबाई नागो	1 शाहपुर	1995	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		2. सगुनाबाई कुत्रा	1 शाहपुर	1995	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		3. गंगाराम मेहता	10 शाहपुर	1995	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		4. शशांताबाई सिताराम	1 शाहपुर	1995	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		5. राधाबाई पावना	1 शाहपुर	1995	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		6. नागो गना	1 शाहपुर	1995	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		7. कमलाबाई कुत्रा	1 शाहपुर	1995	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		8. चिंदाबाई कुत्रा	1 शाहपुर	1995	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		9. बनाबाई जीवराम	1 शाहपुर	1995	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		10. सिताबाई गणपत	2 शाहपुर	1995	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		11. धुरपदाबाई बाबूराव	2 शाहपुर	1995	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		12. शांतबाई माधव	2 शाहपुर	1995	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		13. मंजाबाई रामू	3 शाहपुर	1995	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		14. पूताबाई नथ्यु	4 शाहपुर	1995	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		15. दूर्गा बाई बाबूराव	5 शाहपुर	1995	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		16. शशांताबाई सोनजी	5 शाहपुर	1995	परिषद	150

					प्रस्ताव अनुसार	
		17. अनुसयाबाई धोंडू	5 शाहपुर	1995	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		18. भीकन मंगू	5 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		19. सुबीबाई मोजम	5 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		20. रफिक हुसेन	5 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		21. मूसा करीम	5 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		22. जैनबी मो.	5 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		23. माननबी नवाजखॉ	5 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		24. मरीयमगी लालखॉ	5 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		25. नसीमबी युसुफ	5 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		26. हसीनाबी मो. युसुफ	5 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		27. बलीराम देवराम	5 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		28. अमीनाबी मेहमूद	5 शाहपुर	2004	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		29. आनंदीबाई राजाराम	6 शाहपुर	2004	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		30. माधव लहानू	6 शाहपुर	2004	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		31. हरी सखाराम	6 शाहपुर	2004	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		32. एकनाथ किसन	6 शाहपुर	2004	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150

		33. परदेशीराम रामभजन	6 शाहपुर	1995	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		34. शशांताबाई सखाराम	6 शाहपुर	2004	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		35. सेनु काशीराम	7 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		36. गीताबाई सुपडू	7 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		37. देवचंद गणपत	7 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		38. बाजीराव पुंजाजी	8 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		39. विश्राम सोनजी	8 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		40. गंगाबाई नारायण	8 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		41. नबाबाई सखाराम	8 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		42. झोपडाबाई गणपत	8 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		43. देवराम सांडू	8 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		44. शेवंताबाई वामन	8 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		45. शांताबाई कडू	8 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		46. हनीफाबी हुसेन	8 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		47. बाबूराव रामभाऊ	8 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		48. सुभाबाई सिताराम	8 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		49. जयवंताबाई मुलचंद	9 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव	150

					अनुसार	
		50. नारायण संपत	9 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		51. पार्वताबाई धोंडू	9 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		52. सुपडाबाई मिठाराम	1 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		53. कंबाबाई यादव	9 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		54. सुभाबाई पूना	9 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		55. रुकमाबाई भीका	9 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		56. श्यामराव नारायण कुनबी	10 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		57. जयवंताबाई तुकाराम	10 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		58. शोभाराम ठाकुर	10 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		59. रुखमाबाई जयराम	10 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		60. कस्तुराबाई रतनअप्पा	12 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		61. सुभद्राबाई दिगंबर	12 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		62. मोतीराम फकिरा	12 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		63. सुगराबी रज्जब	12 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		64. कुलसुभबी शे. रहीम	12 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		65. शबनुरबी बुडनशाह	12 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		66. नूरबी इब्रहाइम	12 शाहपुर	1997	परिषद	150

					प्रस्ताव अनुसार	
		67. सिताराम शशोभाराम	12 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		68. हसीनाबी जब्बार	12 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		69. कैशल्या मारुती	11 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		70. गोपीबाई किसन	11 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		71. हसीनाबी शे. मजीद	14 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		72. जीवराम काशीराम	14 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		73. शंकर लहानू	14 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		74. रहमशाह याकुब	14 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		75. शकीलाबी मुनीर शशाह	14 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		76. त्रंबक म्हानरनाथ	15 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		77. भीकाबाई सोमा	4 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		78. व्दारकाबाई श्रीराम	14 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		79. शांताबाई उखडू	15 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		80. पार्वताबाई सूपडू	15 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		81. रघूनाथ सांडू	15 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		82. श्यामराव पावना	15 शाहपुर	1997	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150

		83. गीताबाई सूपडू	15 शाहपुर	2004	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		84. सोनाबाई रघूनाथ	15 शाहपुर	2004	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		85. हरी किसन	15 शाहपुर	2004	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		86. शशांताबाई राजाराम	15 शाहपुर	2004	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		87. प्रल्हाद नारायण	14 शाहपुर	2004	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		88. विमलाबाई रघूनाथ	8 शाहपुर	2004	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		89. अर्जून तुकाराम	1 शाहपुर	2004	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		90. जीजाबाई बाबू	1 शाहपुर	2004	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		91. सयाबाई तुकाराम	1 शाहपुर	2004	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		92. त्रंबक बालाजी	15 शाहपुर	2004	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		93. कडू लालचंद	8 शाहपुर	2004	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		94. गुताबाई रघुनाथ	2 शाहपुर	2004	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		95. श्यामराव देवचंद	2 शाहपुर	2004	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		96. राजाराम बिसन	9 शाहपुर	2004	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		97. बाबू सुखदेव	1 शाहपुर	2004	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		98. सदाशिव सिताराम	12 शाहपुर	2004	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		99. बाबू बालू	15 शाहपुर	2004	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150

					अनुसार	
		100. दगडू बूघू	1 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		101. ओमकार कालू	2 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		102. केसरबाई बाजीराव	12 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		103. श्यामराव बाजीराव	14 शाहपुर	2005	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
		104. तुलसीराम सोनजी	8 शाहपुर	1996	परिषद प्रस्ताव अनुसार	150
क्र	सहायता का स्वरूप	प्राप्तकर्ता का नाम व	पता	वर्ष	प्रमाण	सहायता राशि
1	मीटरनीटी बेनीफीट	अरुणाबाई पति कैलाश	13-शाहपुर	2005-06	परिषद प्रस्ताव अनुसार	रु 500

अध्याय – चौदह

नगर पालिका के पास प्राप्त या धारित इलेक्ट्रानिक फार्म में सूचना के बारे में विवरण

क्र	वर्ग दस्तावेज का स्वरूप	हार्ड कॉपी	इलेक्ट्रानिक फार्म
1.	2.	3.	4.
1.	कार्यवृत्त पुस्तिका / रजिस्टर बैठक कार्यवृत्त	रजिस्टर	---
2.	(क) परिषद (ख) स्थायी समिति / प्रेसीडेन्ट इन कौंसिल रजिस्टर ---"--- ---"---	रजिस्टर	---
3.	वार्षिक प्रतिवेदन पंजी प्रतिवेदन	पंजी	---
4.	स्टाक तथा भंडार पंजिया पंजी क्रय की गई सामग्री का विवरण	रजिस्टर	---
5.	अचल संपत्ति की पंजी रजिस्टर न. पा. की अचल संपत्ति	रजिस्टर	---
6.	भविष्य निधि अभिलेख रजिस्टर कर्मचारियों के भविष्य निधि की जानकारी	रजिस्टर	---
7.	जन्म मृत्यु तथा विवाहों की पंजी रजिस्टर जन्म मृत्यु संबंधी जानकारी	पंजी	---
8.	वेतन बिल वेतन पत्रक	वेतन पत्रक	---
9.	रोकडिया रोकड	रजिस्टर	---
10.	छुट्टी तथा प्रतिनियुक्ति रजिस्टर	रजिस्टर	---
11.	स्थायी अग्रिम लेख रजिस्टर अग्रिम की जानकारी ---"---	रजिस्टर	---
12.	नगर पालिका रोकड रजिस्टर	रजिस्टर	---
13.	प्राप्तियों की नगद संक्षेप पंजी लेजर रजिस्टर	पंजी	---
14.	व्यय की संक्षेप पंजी	पंजी	---

15.	स्थापना पंजी रजिस्टर	रजिस्टर	---
16.	अवकाश पंजी रजिस्टर	रजिस्टर	---
17.	समायोजन पंजी रजिस्टर	रजिस्टर	---
18.	अमानत व अग्रिम पंजी रजिस्टर	रजिस्टर	---
19.	प्रतिभूति पंजी रजिस्टर	रजिस्टर	---
20.	ऋण पंजी रजिस्टर	रजिस्टर	---
21.	समस्त मांग संग्रहण पंजी व रसीद बुके रजिस्टर	रजिस्टर	---
22.	समस्त फीस पंजीया रजिस्टर	रजिस्टर	---
23.	कांजी हाउस पंजी व अभिलेख	रजिस्टर	---
24.	लेखा परीक्षण टिप्पणी	पंजी	---
25.	विविध बिल व रसीद बुके	बुक	---
26.	निर्माण कार्यों के बिल/माप पुस्तिका	रजिस्टर	---
27.	मस्टर रोल फार्म	फार्म	---
28.	बजट अनुमान पंजी	पंजी	---
29.	आवेदन पत्र/पत्राचार संबंधित प्रकरण की जानकारी	फार्म	---

सामान्य प्रशासन विभाग

अ.क्र.	वर्ग	हार्ड कापी	इलेक्ट्रानिक फार्म
1.	2.	3.	4.
		अनुदान रजिस्टर	
		मु.न.पा. पंजी	
		निक्षेप रजिस्टर	
		स्टॉफ रजिस्टर	
		उपस्थिती रजिस्टर	
		सेवा अभिलेख	
		परिवार कल्याण	
		पेशन फाईल	
		समूहीक बीमा फाईल	
		कर्मचारी संबंधी फाईल	
		अंकेक्षण फाईल	
		बजट	
		संचित निधि	
		यात्रिकर क्षतिपूर्ति	
		चुंगी क्षतिपूर्ति	
		स्थानांतरण	
		सरक्युलर	
		जनरल फाईल	
		गोपनीय चरित्रावली	
		आवक जावक	
		जन्म मृत्यु फाईल	
		अकस्मित अवकाश	
		डाक व्यय पंजी	
		राजस्व शाखा नामांतरण पंजी	

		बी.पी.एल सर्वेक्षण	
		जन समस्या निवारण	
		नगर पंचायत निर्वाचन	
		समाजिक आर्थिक स्थिति सर्वेक्षण	
		निर्वाचन नामावली संक्षिप्त पुन निरीक्षण	
		वार्ड विभाजन	
		जनगणना	
		विधान सभा निर्वाचन	
		अध्यक्ष पार्षद रिक्त पद	
		संपत्ती कर निर्धारण	
		पशु सगणना	
		पल्स पोलियो	
		लोक सभा निर्वाचन	
		राजिव गांधी आश्रय योजना	
		निकाय क्षेत्र की प्रशासनिक परिसिमन जानकारी	
		भूमि अधिग्रहण फाईल	
		सम्पत्ती का बाजार मुल्य	
		अवैध कनेक्शन की जाँच	
		कर्मचारी कार्य विभाजन	
		जल कर वृद्धि	
		सरक्युलर	
		आपदा से निपटने हेतु कार्ययोजना	
		म.प्र. दुकान / स्थापना अधिनियम	
		संपत्तिकर सर्वेक्षण प्रारुप	
		संपत्तिकर नियमावली	
		मोटर वाहनो पर करा रोपन फाईल	
		सापताहीक बाजार पशु पंजी फिस मे वृद्धि	
		म्युन्सीपल सर्विस टेक्स	
		आयकर विभाग कि जानकारी	
		मांग पंजी	
		कांजी हाउस दरो मे संशोधन	
		न्यायालय मे अपील फाईल	
		थशक्षा उपकर आरोपण	
		परिषद कार्य वृत्त	

		ऐजेन्डा	
		निजी नल कनेक्शन	
		वसूली पत्रक	
		अधियोक्ता राय	
		सुचना अधिकार एवं सिटीजन चार्टर	
		दस्तावेजो को पंजीयन	
		व्यवसायिक प्रतिष्ठान मे जल कर मे वृद्धि	
		मध्यान भोजन योजना	
		मध्यान भोजन योजना प्रारंभ फाईल	
		मध्यान भोजन गेहुँ वितरण	
		मध्यान भोजन व्हाउचर फाईल	
		मध्यान भोजन शासकीय पत्रो कि फाईल	
		मध्यान भोजन केश बुक	
		पालक शिक्षक संघ बैठक	
		शिक्षकर्मी भर्ती	
		संविदा शिक्षक	
		उच्च न्यायालय से संबंधी फाईल	
		शिक्षा संबंधी नियमितिकरण	
		संविदा शिक्षाकर्मी / शिक्षक मानदेय वितरण	
		शिक्षाकर्मी जानकारी	
		सामाजिक वृद्धावस्था पेंशन	
		राष्ट्रीय परिवार सहायता	
		स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	
		मेटरनेटी बेनिफीट योजना	
		जनश्री बीमा योजना	
		अंत्योदय अन्न योजना	
		जल पान गृह निलामी	
		साप्ताहिक बाजार पशु पंजीयन	
		गुमटी बैठक शुल्क	
		पट्टा बस्ति विकास प्रभार	

		जल प्रदाय विभाग विधुत पंजी रजिस्टर	
		स्टाफ पंजी रजिस्टर	
		नल कनेक्शन रजिस्टर	
		सार्वजनिक नल कनेक्शन रजिस्टर	
		जल आवर्धन योजना फाईल	
		फायर वाहन संबंधी	
		ट्रेक्टर फायर वाहन बीमा	
		वाटर सप्लाय जानकारी	
		शिकायत संबंधी	
		उल्टी दस्त	
		स्टॉक रजिस्टर	
		विधुत रजिस्टर	
		विद्युत स्तम्ब रजिस्टर	
		वि. संबंधी फाईल	
		स्वर्ण जयंती अयोध्या बस्ति	
		लोक निर्माण फायर गेरेज निर्माण	
		हाल गोडाउन निर्माण	
		भवन अनुमति	
		उपयोगीता प्रमाण पत्र	
		तकनीकी स्वीकृती	
		मध्यान भोजन शेड निर्माण	
		चौराहा सौदर्याकरण	
		पर्यावरण सुधार योजना	
		स्टाक पंजी	
		माप पुस्तक पंजी	
		टोस अपसीस्ट प्रबंधन (सफाई विभाग)	
		शुस्क शौचालय प्रबंधन	
		वृक्षा रोपण	
		अतिक्रमण	
		गोबर खाद कुडा करकट	
		पोलीथिन प्रतिबंध	
		100 दिन कार्य योजना	
		शिकायती आवेदन पत्र निराकरण	
		निर्माण कार्य संबंधी	
		सफाई कामगार संबंधी सुचनापत्र निलंबन	
		स्टॉक रजिस्टर	
		हाजरी रजिस्टर	
		डिजल ऑईल स्टॉक	

		पंजी	
		लॉग बुक	

अध्याय – पन्द्रह

नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिये प्रारम्भ सुविधाएँ

अ. क्र.	सुविधा	प्रभारी का नाम	सूचना प्राप्ति का समय	टेलीफोन नंबर
1.	2.	3.	4.	5.
1	नोटीस बोर्ड / सूचना केन्द्र	श्री कैलाश कर्मा (सहा. लोक सूचना अधि.)	11.00 से 5.00	268152

1. पुस्तकालय
2. सूचना केन्द्र
3. सूचना काउंटर
4. अन्य माध्यम – विज्ञापन/पेम्पलेट/नोटिस बोर्ड आदि

अध्याय – सोलह

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा अन्य

अ.क्र.	नाम	पदनाम	टेलीफोन नंबर	ई-मेल पता	कार्यालय पता	मिलने का समय
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	श्री गणेश दुबे	मु.न.पा. अधि. व लोक सूचना अधिकारी	268152	---	न. पं. शाहपुर	11.00 से 5.00
2	श्री कैलाश कर्मा	स. रा. निरीक्षक व सहायक लोक सू. अधि.	268152	---	न. पं. शाहपुर	11.00 से 5.00
3	श्री डी.एस. शशुक्ल	उपसंचालक नगरी प्रशासन संभाग इंदौर, संभाग इंदौर एवं अपीलीय अधि.	0731-2703926	---	44- जावरा कंपाउंड, पालिका भवन, इंदौर	11.00 से 5.00

नोट :-

लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी दोनों की जानकारी दी जावे ।

अध्याय – सत्रह

अन्य सूचनाएँ

1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कोई भी नागरिक नगर पालिका परिषद द्वारा नियुक्त लोक सूचना अधिकारी को विहित प्रारूप में आवेदन कर सकेगा । आवेदन पत्र का फार्म सूचना अधिकारी से निःशुल्क/सशुल्क प्राप्त किया जा सकता है । आवेदन पत्र की रसीद प्रदान की जावेगी । आवेदक को अभिलेखों की प्रतिलिपि का निर्धारित शुल्क जमा कराना होगा ।

अधिनियम 2005 की धारा 8 में वर्णित कारणों से आवेदक द्वारा चाही गई सूचना/अभिलेखों की प्रति से इंकार किया जा सकता है, जिसकी लिखित सूचना आवेदक को दी जावेगी ।

2. नगर पालिका के नीतिगत विनिश्चयों, नगरीय निकास योजनाओं एवं लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा प्रशासनिक सुधार के लिये नागरिकों के रचनात्मक प्रस्ताव एवं सुझाव की वांछना करना है, व नागरिक लोक सूचना अधिकारी के पास रखी सुझाव पुस्तक में अपना सुझाव अंकित कर सकता है, या लिखित में दे सकता ।
3. नगर पालिका परिषद प्रेसीडेन्ट इन कौंसिल एवं समितियों की बैठक के कार्यवृत्त आम नागरिकों की जानकारी व अवलोकन हेतु नगर पालिका कार्यालय के सूचना पट पर प्रकाशित किये जाते हैं, व उनका निःशुल्क निरीक्षण कर सकेंगे ।
4. नगर पालिका के करों से संबंधित ऐसेसमेंट व डिमांड रजिस्टर का कम्प्यूटराईज्ड करने का प्रयास किया जायेगा व अन्य ऐसे इलेक्ट्रानिक साधनों की व्यवस्था भविष्य में की जावेगी, जिससे नागरिकगण सूचना के अधिकार के अंतर्गत त्वरित व सुगमता से जानकारी प्राप्त कर सकें ।
5. नगर पालिका ने नागरिकों के कार्यों हेतु सीटीजन चार्टर का प्रकाशन किया है । नागरिकों से अनुरोध है कि, वे अपने कार्य भवन निर्माण, नल कनेक्शन, सफाई, प्रकाश,

करों आदि के आवेदन निर्धारित प्रारूप, वांछित अभिलेखों व फीस के साथ प्रस्तुत करें
। जिससे उनके आवेदन निर्धारित समय-सीमा में निराकृत हो सके ।

6. अन्य